

[2023] 3 एस.सी.आर.942

वहिथा

बनाम

तमिलनाडु राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 762/2012)

22 फरवरी, 2023

[न्या. दिनेश माहेश्वरी और न्या. बेला एम. त्रिवेदी]

दंड संहिता, 1860 - एस. 302 - के तहत दोषसिद्धि - बच्चे का गला घोटना-अभियोजन के अनुसार अपीलकर्ता ने अपने पांच साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी थी, जब अभि.स.-1 (अपीलकर्ता की सास) घर से बाहर चली गई थी - प्राथमिकी के अनुसार, जब अभि.स.-1 घर वापस आई, तो उसने अपीलकर्ता को अपनी साड़ी के पल्ले के छोर को बच्चे की गर्दन में कसकर बांधते देखा-अपनी गवाही के दौरान पीडब्ल्यू.-1 ने कहा कि जब वह घर वापस आई तो उसने अपीलकर्ता को मृत बच्चे के बगल में चुपचाप बैठे पाया - अभि.स.-1 की चिल्लाहट सुनकर अभि.स.-1 की बेटियाँ- अभि.स.-2 और अभि.स.-3 भी घटना स्थल पर पहुँचीं - दो स्वतंत्र गवाह अभि.स.-4 और अभि.स.-5 (अभि.स.-1 के मकान मालिक और पड़ोसी) ने भी गवाही दी कि उन्होंने अपीलकर्ता को मृत बच्चे के शरीर के बगल में देखा था - पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, बच्चे की मृत्यु का कारण गला घोटने के कारण दम घुटना था - हालाँकि, अपीलकर्ता के पिता अभि.स.-6 ने बयान दिया कि अपीलकर्ता उसके साथ उसके गाँव में था और वह बच्चे की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद उसके साथ ससुराल गया था - निचली न्यायालय ने दोषी अपीलकर्ता को धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया और अन्यत्र उपस्थित होने की याचिका को अस्वीकार कर दिया- उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निष्कर्षों की पुष्टि की और कहा कि अपीलकर्ता बच्चे के साथ देखा गया अंतिम व्यक्ति

थी। इसलिए मृत्यु कैसे हुई, यह साबित करने की जिम्मेदारी अपीलकर्ता पर थी - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: अन्यत्र उपस्थित होने की याचिका खारिज कर दी गई-यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि अपीलकर्ता घटना के समय और स्थान पर मौजूद नहीं थी; दो स्वतंत्र गवाहों ने गवाही दी कि उन्होंने अपीलकर्ता को मृत बच्चे के शरीर के पास देखा था; अपीलकर्ता को घटना के दिन ही बस स्टैंड पर गिरफ्तार कर लिया गया- हालांकि, अभि.स.-2 की शिकायत और न्यायालय के समक्ष उसके दावों के संस्करणों के बीच में विसंगतियां थीं, ऐसी विसंगतियां सामान्य और प्राकृतिक हैं या उसके द्वारा सही प्रकार से व्यापक विवरण का परिणाम हैं- निचली अदालत ने मामले का सही विश्लेषण किया और कहा कि अभि.स.-1 एक साल पुरानी घटना की स्मृति से गवाही दे रही थी, इसलिए विसंगतियों के परिणामस्वरूप उसकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जाएगा - इसके अलावा, अपीलकर्ता से बरामद साड़ी में खून के धब्बे थे - अपीलकर्ता के वैवाहिक घर में न रहने और इस प्रकार अपराध करने के उद्देश्य को समझने के लिए इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी और उसे केवल बच्चे के पालन-पोषण के लिए ससुराल आने के लिए मजबूर किया गया था- अपीलकर्ता ने अपने विरुद्ध कथित परिस्थितियों से इनकार करने के अलावा आ.दं.प्र. की धारा 313 के अंतर्गत दिए गये अपने बयान में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है- साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत साबित करने का भोझ भारी रूप से अपीलकर्ता के विरुद्ध है - वैकल्पिक निवेदन कि मामला गैर-इरादतन मानव हत्या का हो, जो कि हत्या के बराबर नहीं है, खारिज कर दिया गया।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की जांच की है और मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा- अभि.स.- 6 द्वारा किया गया दावा कि 20.06.2007 पर वह अपनी बेटी को अपने गाँव कोलक्कुडी वापस ले गया था, के संबंध में अभिलेख पर कोई पुष्टि करने वाला सबूत न होने को ध्यान में रखते हुए अन्यत्र उपस्थित होने की याचिका को

खारिज कर दिया है। अभियुक्त-अपीलार्थी ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया कि वह घटना के समय और स्थान पर अपनी सास के घर पर मौजूद नहीं थी। इस तथ्य के अलावा कि अभि.स.-1, अभि.स.-2 और अभि.स.-3 ने निरंतर अपने बयानों को बनाए रखा कि अपीलकर्ता घटना के समय और स्थान पर उपलब्ध थी, दो स्वतंत्र गवाह, अभि.स.-1 का मकान मालिक अभि.स.-4 और अभि.स.-1 का पड़ोसी अभि.स.-5 ने गवाही दी कि उन्होंने अपीलकर्ता को घटना के तुरंत बाद और घटना के स्थान पर मृत बच्चे के शव के साथ या उसके पास बैठे देखा। यद्यपि अभि.स. 2 और अभि.स.-3 की गवाही को अस्वीकार करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है, सिर्फ बहस के लिए यदि उन गवाहों, जिनका शायद अपीलकर्ता की तरफ सकारात्मक रवैया न हो, से सम्बंधित होने के कारण उनकी गवाही को छोड़ भी दिया जाए, लेकिन अभि.स.-4 और अभि.स.-5 की गवाही को अस्वीकार करने और त्यागने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। अभि.स.-4 और अभि.स.-5 द्वारा उस समय के आसपास और घटना के स्थान पर अपीलकर्ता की उपस्थिति के बारे में गवाही देने में क्या हित हो सकता है, इसके संबंध में दूर-दूर तक कोई आधार पेश नहीं किया गया है। [अनुच्छेद 15.1] [981-बी-डी]

2. पूर्वगामी के अलावा, मामले का तथ्य यह भी है कि अपीलकर्ता को घटना के नौ घंटे बाद भी, बस स्टैंड पर 21.06.2007 यानी घटना के दिन ही गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, जब अभि.स.-6 द्वारा प्रतिपादित किया गया आख्यान कि अपीलकर्ता 20.06.2007 को उसके साथ अपने गाँव गई थी और फिर 21.06.2007 पर अपनी सास के घर वापस गई थी, खारिज किया जाता है तो अन्य सभी तथ्यों को एक साथ लेने से यह तार्किक निष्कर्ष निकलता है कि अन्यत्र होने की याचिका को अस्वीकार किया जाना चाहिए। [अनुच्छेद 15.2] [981-ई-एफ]

3. एक अन्य प्रमुख कारक जो कि अपीलकर्ता द्वारा उजागर और विस्तृत किया गया है वह अभि.स.-1 द्वारा पुलिस को की गई उसकी शिकायत और न्यायालय के समक्ष किये गए उसके दावों की तुलना करने

पर दोनों संस्करणों के बीच कुछ विसंगतियों से संबंधित है। निसंदेह, इस मामले में कुछ ऐसी विसंगतियां थीं जो कि प्रथमतः संदेह उत्पन्न करती हैं कि अभि.स.-1 की गवाही पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। हालाँकि, अभिलेख पर बारीकी से नज़र डालने से यह स्पष्ट होता है कि अभि.स.-1 द्वारा दिए गए संस्करणों में विरोधाभासों को केवल सामान्य और स्वाभाविक माना जा सकता है या उनकी समझ की कमी का परिणाम माना जा सकता है। [अनुच्छेद 16] [981-जी-एच; 982-ए]

4. अभि.स.-1 कोई और नहीं बल्कि अपीलकर्ता की सास और पीड़ित बच्चे की दादी है। इस मामले में पहली विसंगति यह है कि शिकायत में दिए गए विवरण के अनुसार, वह सुबह बिना पैसे लिए इडली खरीदने के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन अपने बयान में उसने कहा कि अपीलकर्ता ने उसे रु. 100 देकर इडली लाने को कहा था। एक और बड़ी विसंगति तब सामने आती है जब यह देखा जाता है कि शिकायत में, उसने जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता घटना स्थल से भाग गई थी, लेकिन अपने बयान में, उसने कहा कि अपीलकर्ता को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। तीसरा, बाजार जाने के बाद घर पहुंचने पर उसने जो देखा और किया, वह भी शिकायत और बयान में अलग-अलग बताया गया है। सवाल यह है कि क्या इन विसंगतियों के कारण उसकी गवाही और अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। [अनुच्छेद 16.1] [982-बी-सी]

5. निचली न्यायालय ने मामले का ठीक विश्लेषण किया है और कहा है कि जब पैंसठ वर्ष की आयु की अभि.स.-1 घटना के एक वर्ष बाद अपनी स्मृति से न्यायालय के समक्ष गवाही दे रही थी, तो इस तरह की विसंगतियों के परिणामस्वरूप उसकी गवाही पूरी तरह से खारिज नहीं होगी। शिकायत में और बयान में उसके दावों से निकलने वाली प्रासंगिक विशेषताएं यह हैं कि वह पीड़ित बच्चे को अपीलार्थी के पास छोड़ते हुए सुबह खाने-पीने की चीजें खरीदने के लिए बाहर गई थी; और वापस आने के बाद उसने बच्चे को मृत पाया, जिसमें अपीलकर्ता बच्चे के साथ थी।

इस बारे में कि क्या वह अपीलकर्ता द्वारा पैसे दिए जाने के बाद बाजार गई थी या पैसे लिए बिना, हमारे विचार में, उसकी पूरी गवाही के साथ-साथ अन्य गवाहों की गवाही को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसा लगता है कि उक्त गवाह अभि.स.-1 ने स्पष्ट रूप से तथ्यों का हिसाब खो दिया है जब उसने अपने बयान में कहा कि अपीलकर्ता को घटना के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। अभिलेख पर यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि अपीलकर्ता को देर दोपहर बस स्टैंड पर गिरफ्तार किया गया था और यह कहीं नहीं दिखा कि घटना के तुरंत बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया था या नहीं। आधिकारिक गवाह अभि.स.-10 को इस संबंध में दिए गए एक सुझाव का भी उन्होंने विशेष रूप से खंडन किया है। अभि.स.-1 के संस्करण में उक्त विसंगति की भी कोई प्रासंगिकता नहीं है और दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को उस हिसाब से विस्थापित नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि शिकायत में दिया गया संस्करण जैसे कि अभि.स.-1 ने अपीलकर्ता को अपने बच्चे का गला घोटते हुए देखा, यह घटना के तुरंत बाद होने के कारण एक स्पष्ट दावा प्रतीत होता है। स्वतंत्र गवाह अभि.स.-4 और अभि.स.-5 सहित अपराध स्थल पर पहुंचे अन्य गवाहों ने निरंतर कहा है कि अपीलकर्ता घटना के तुरंत बाद बच्चे के शव के साथ मौजूद थी। [अनुच्छेद 16.2] [982-डी-एच; 983-ए]

6. मामले के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, इस न्यायालय को अभियोजन पक्ष के पूरे मामले पर विश्वास न करने और खारिज करने का कोई कारण नज़र नहीं आता है क्योंकि अभि.स.-1 ने मामले को सुसंगत तरीके से पेश नहीं किया है। निजी गवाहों के अलावा, आधिकारिक गवाहों की गवाही में भी सभी प्रासंगिक तथ्यों को विधिवत स्थापित किया गया है। वर्तमान मामले में पाई गई विसंगतियों को, ज्यादा से ज्यादा, सामान्य विरोधाभास या विसंगति या नगण्य कहा जा सकती है; और *भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई* में इस न्यायालय द्वारा वर्णित कारणों के लिए यथोचित रूप से संदर्भित हैं, क्योंकि साक्ष्य में मामूली विसंगतियां होती हैं

और उन्हें अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है [अनुच्छेद 16.3] [983-बी-सी]

7. यह निवेदन कि अपीलकर्ता द्वारा पीड़ित को साड़ी से गला घोटने का दावा, पोस्टमार्टम परीक्षा से संबंधित नहीं है, भी असमर्थनीय है। जैसा कि देखा गया है, चिकित्सा अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया है कि बच्चे का गला घोटने के कारण 20 सेंटीमीटर लम्बा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा घाव हुआ था और इसमें उसकी थायराइड में मौजूद कार्टिलेज हड्डी टूट गई थी। अभि.स.8 ने यह भी कहा कि इस तरह के घाव की संभावना साड़ी के बाहरी छोर को मोड़कर व्यक्ति की गर्दन में डालकर गला घोटने पर होती है। विचाराधीन साड़ी को अपीलकर्ता से विधिवत बरामद किया गया था और उसमें खून के धब्बे होने पाए गए थे। [अनुच्छेद 17] [983-डी-ई]

8. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के समूह में, अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाए गए उद्देश्य, अर्थात्, अपीलकर्ता की अपने वैवाहिक घर में न रहने की इच्छा और ऐसा सिर्फ मजबूरी में बच्चे के कारण करना, बच्चे के अस्तित्व में रुचि न रखना, हालांकि कुछ कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, लेकिन साथ ही, उसे पूरी तरह से नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि 18.06.2007 तक अपीलकर्ता अपने माता-पिता के साथ रह रही थी और उसे अपने पति के परिवार के साथ बच्चे के पालन-पोषण के उद्देश्य से पेरम्बलुर आने के लिए मजबूर किया गया था। [अनुच्छेद 18] [983-एफ]

9. अपीलकर्ता की ओर से किया गया एक अन्य निवेदन, कि उसके पति से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है, मामले को उसके पक्ष में नहीं ले जाता है। घटना के समय उसके पति को देश में नहीं था और वह अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए जाने वाले भौतिक तथ्यों के संबंध में प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। दूसरी ओर, यदि अपीलकर्ता उसे एक भौतिक गवाह मान रही थी, तो उसे अपने पति की जाँच के लिए न्यायालय में प्रार्थना करने एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के

अंतर्गत अपनी जांच के दौरान इस संबंध में विशिष्ट प्रस्तुतियाँ करने से कुछ भी नहीं रोक सकता था। [अनुच्छेद 19] [983-जी-एच; 984-ए]

10. जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान का संबंध है, अपीलकर्ता ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और दी गई परिस्थितियों से इनकार करने के अलावा कोई उसने कोई बयान नहीं दिया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित किया कि पीड़ित बच्चे को आखिरी बार केवल अपीलकर्ता के साथ ही जीवित देखा गया था, तो उसे जिन परिस्थितियों के कारण बच्चे की मृत्यु हुई थी, उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। ऐसा करने में विफल रहने और जिन परिस्थितियों के कारण बच्चे की मृत्यु हुई थी, उन्हें स्पष्ट करने में असफल रहने पर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का भार अपीलकर्ता के विरुद्ध काम करता है, जैसा कि उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों, विशेष रूप से *सतपाल* और *साबित्री सामंतारे* के मामलों में से ध्यान देने योग्य है, । [अनुच्छेद 20] [984-बी-सी]

11. इस विकल्प में की गई दलीलें कि दी गई परिस्थितियों में, वर्तमान मामला केवल गैर इरादतन हत्या का हो सकता है, जो हत्या के बराबर नहीं है, केवल खारिज किए जाने के लिए नोट किया गया है। यदि यह भी माना जाए कि घटना की तारीख की सुबह अपीलकर्ता का अपनी सास (अभि.स.-1) के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि अपीलकर्ता अपने पिता के घर जाना चाहती थी, तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के झगड़े से यह गंभीर और अचानक उकसाने का मामला बन जाएगा। अभिलेख पर साबित परिस्थितियों और अपराध करने के तरीके से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मामले को भा.दं.सं. की धारा 300 के किसी भी अपवाद के तहत नहीं लाया जा सकता है और भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा देने में गलती नहीं की जा सकती है। [अनुच्छेद 22] [984-ई-एफ]

पप्पु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 10 एससीसी 321;
मेकला शिवैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2022) 8 एससीसी
253; शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4
एससीसी 116 : [1985] 1 एससीआर 88; हनुमंत बनाम
मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1952 एससी 343 : [1952]
एससीआर 1091; श्यामल घोष बनाम राज्य पश्चिम बंगाल
(2012) 7 एससीसी 646 : [2012] 10 एससीआर 95;
भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य
(1983) 3 एससीसी 217 : [1983] 3 एससीआर 280;
गंगाधर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (2002) 8 एससीसी 381
: [2002] 3 पूरक. एससीआर 183; गंगभवानी बनाम
रायपति वेंकट रेड्डी (2013) 15 एससीसी 298 : [2013]
14 एससीआर 155; रामनरेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
(2012) 4 एससीसी 257 : [2012] 3 एससीआर 630;
सतपाल बनाम हरियाणा राज्य (2018) 6 एससीसी 610;
सत्य सिंह और अन्न. बनाम. उत्तराखंड राज्य (2022) 5
एससीसी 438; साबित्री सामंतराय बनाम. ओडिशा राज्य
2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 673 - को आधार बनाया
गया।

कृष्ण मोची बनाम बिहार राज्य (2002) 6 एससीसी 81 :
[2002] 3 एससीआर 1; लीला राम बनाम हरियाणा राज्य
(1999) 9 एससीसी 525 : [1999] 3 पूरक. एससीआर
435; राज्य राजस्थान बनाम काशी राम (2006) 12
एससीसी 254 : [2006] 8 पूरक. एससीआर 501; हरियाणा
राज्य बनाम भागीरथ (1999) 5 एससीसी 96 : [1999] 3
एससीआर 529; राजस्थान राज्य बनाम कल्कि (1981) 2
एससीसी 752 : [1981] 3 एससीआर 504 - संदर्भित है।

निर्णयज विधि संदर्भ

[1985] 1 एससीआर 88	में अनुच्छेद	8.6 को आधार बनाया गया है।
[2012] 10 एससीआर 95	में अनुच्छेद	8.6 को आधार बनाया गया है।
[2012] 3 एससीआर 630	में अनुच्छेद	8.6 को आधार बनाया गया है।
[1952] एससीआर 1091	में अनुच्छेद	12.1 को आधार बनाया गया है।
[1983] 3 एससीआर 280	में अनुच्छेद	9.1 को आधार बनाया गया है।
[2002] 3 एससीआर 1	में अनुच्छेद	9.1 संदर्भित है।
[1999] 3 पूरक. एससीआर 435	में अनुच्छेद	9.1 संदर्भित है।
[2006] 8 पूरक. एससीआर 501	में अनुच्छेद	9.2 संदर्भित है।
[2002] 3 पूरक. एससीआर 183	में अनुच्छेद	9.4 को आधार बनाया गया है।
[1999] 3 एससीआर 529	में अनुच्छेद	9.4 संदर्भित है।
[2013] 14 एससीआर 155	में अनुच्छेद	9.5 को आधार बनाया गया है।
[1981] 3 एससीआर 504	में अनुच्छेद	9.5 संदर्भित है।

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : आपराधिक अपील संख्या 762/2012।

2010 की आ.अनु.या. सं. 01 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 09.03.2010 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता चंचल कुमार गांगुली, सुश्री वंदना तिवारी, अनुराग राणा।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महारा।

न्यायालय का निर्णय न्या. दिनेश माहेश्वरी द्वारा दिया गया था

न्या. दिनेश माहेश्वरी

1. यह अपील आपराधिक अपील सं. 01/2010 में दिनांक 09.03.2010 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत मद्रास उच्च न्यायालय ने 2008 के सत्र मामला संख्या 9 में सत्र न्यायाधीश, महिला न्यायालय, पेरम्बलुर द्वारा पारित दिनांक 15.10.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया था और अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास और डिफॉल्ट शर्तों के साथ 2,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

2. एक संक्षिप्त रूपरेखा में, यह देखा जा सकता है कि इस मामले में, अपीलकर्ता को 21.06.2007 की सुबह पेरम्बलुर में अपनी सास के घर में अपने पांच साल के बच्चे की हत्या के अपराध का दोषी ठहराया गया है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलकर्ता का पति आजीविका कमाने के लिए विदेश में रह रहा था और अपीलकर्ता अधिकतर अपने पिता के साथ कोलक्कुडी में रह रही थी। हालाँकि, जब उसे बच्चे की परवरिश और शिक्षा के लिए अपनी सास के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो अलग रहने की इच्छा में उसे अपना बच्चा बाधा लगने लगा और इसलिए जब उसकी सास घर से बाहर गई तो उसने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता को आखिरी बार बच्चे के साथ देखा गया था और बच्चे को मारने के बाद, जब उसकी सास और अन्य गवाह अपराध स्थल पर पहुँचे, तो वह भाग गई और देर दोपहर पेरम्बलुर न्यू बस स्टैंड पर उसे पकड़ लिया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, बच्चे की मौत का कारण गला घोटने के कारण दम घुटना था। मुकदमे में, अभियोजन पक्ष के एक गवाह को छोड़कर सभी गवाहों ने अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों का समर्थन किया। केवल अपीलकर्ता के

पिता ने इसके विपरीत बयान दिया और जोर देकर कहा कि प्रासंगिक समय पर, अपीलकर्ता कोलक्कुडी में उसके साथ था और वह बच्चे की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद उसके साथ पेरम्बलुर गया। साक्ष्य की पावती के बाद, निचली न्यायालय ने दिनांक 15.10.2009 के अपने निर्णय में अभियुक्त-अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत अन्यत्र मौजूद होने की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह साबित करता है कि पीड़ित बच्चे की मौत गला घोटने के कारण दम घुटने से हुई थी और उसे आखिरी बार अपीलकर्ता के साथ जीवित देखा गया था, जो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने में विफल रही जिसमें बच्चे की मृत्यु हुई थी। इसलिए, अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और तदनुसार सजा सुनाई गई। अपील में, उच्च न्यायालय ने निचली न्यायालय के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि स्थापित करने वाले तत्व अभिलेख पर स्पष्ट रूप से स्थापित किए गए थे।

2.1. इस अपील में, दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों पर अनिवार्य रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों के संस्करण में कुछ विसंगतियों के संदर्भ में और इस आधार पर सवाल उठाया गया है कि अभियोजन पक्ष ठोस परिस्थितियों की एक श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है जिससे एकमात्र परिकल्पना ये ही हो सकती है कि अपीलकर्ता ने अपने ही बच्चे को मार डाला था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और दोनों न्यायालयों के निष्कर्षों के संदर्भ में इन प्रस्तुतियों का विरोध किया गया है।

3. प्रस्तुतियों और निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं:

3.1. इस मामले में, अपीलकर्ता की सास अभि.स.-1 बशीरा द्वारा पीड़ित बच्चे की मां, यानी अपीलकर्ता द्वारा हत्या के बारे में दी गई जानकारी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 328/ 2007, पेरम्बलुर पुलिस स्टेशन में सुबह लगभग 9 पूर्वाह्न दर्ज की गई थी। अभि.स.-10, उप.नि.

सुब्बुलक्ष्मी, पेरम्बलुर द्वारा लिखित प्राथमिकी की प्रासंगिक सामग्री को निम्नलिखित है:

“...चूँकि मेरी पोती 5 साल की है, इसलिए मेरे बेटे ने रियात से कोलाक्कुडी तक बात की थी और कहा था कि उसे पेरम्बलुर जाना है और मेरे घर में रहना है और बच्चे को पढ़ाना है। इसलिए, वाहिदा को उसके पिता पोती फरहाना के साथ 18.6.07 पर लाए और पेरम्बलुर में मेरे घर में छोड़ दिया। आने के बाद दो दिनों तक उसके ठीक से खाना नहीं खाया और उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की और मेरी बहू वाहिदा ने मुझसे झगड़ा किया और कह रही थी कि वह कोलक्कुडी जा रही है। जब मैंने उसे कोलाक्कुडी न जाने की चेतावनी दी, वह कहने लगी, “केवल इस बच्चे के कारण मैं शांति से नहीं रह पा रही। मेरा पति मुझ पर शक कर रहा है। आप भी मुझे कोलक्कुडी नहीं जाने दे रहें हैं। अगर मैं इस बच्चे को ही खत्म कर दूँ, तो ही मैं शांति से रह पाऊँगी।” मैं, मेरी बेटी मुमताज, मेरी दूसरी बहू आशा और मेरी पड़ोसी कमला ने मिलकर उसे 20.6.2007 की रात को चेतावनी दी थी। पूर्वाह्न 21.06.2007 पर सुबह लगभग 8 बजे मैंने कहा कि मैं जाकर बच्चे के लिए इडली ले आती हूँ। उसने कहा कि वह अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा सकती और कोलक्कुडी जाना चाहती है। इसलिए, मेरे और मेरी बहू वहिथा के बीच झगड़ा हो गया। मैंने उससे कहा कि चलो देखते हैं और इडली लेने चली गई। उस समय मेरी बेटी मुमताज और बहू आशा मुझसे मिलने आई थीं। मैं घर से बिना पैसे लिए इडली खरीदने के लिए निकली तो मैं भी उनके साथ ही पैसे लेने के लिए घर आ गई। उस समय मेरी बहू वहिथा, मेरी पाँच वर्षीय पोती फरहाना की गर्दन बांध उसे साड़ी के बाहरी छोर (मुंडनई) से कसकर पकड़ रही थी। यह देखकर मैं चिल्लाई कि तुम मेरे पोती को क्यों मार रही हो। साड़ी से मेरी पोती की गर्दन पकड़कर मारने के अलावा उसने हमें धक्का दिया और प्रवेश द्वार द्वारा

भाग गई। मेरी चिल्लाहट सुनकर पड़ोसी कमला और जयरामन वहाँ दौड़ते हुए आए। मैंने बच्ची को छुआ। वह मर चुकी थी.... "

3.2. प्राथमिकी (प्र.पी10) दर्ज करने के बाद, अभि.स.-12 प्रथम अन्वेषण अधिकारी थिरु जी. अय्यनार घटना स्थल पर पहुंचे, शव की तस्वीरें (प्र.पी11) ली गई; रफ़ स्केच (प्र.पी12) और पंचनामा (प्र.पी13) तैयार किए गए थे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार (प्र.पी5) पीड़ित बच्चे की गर्दन के चारों ओर 20 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का घाव था; और गला घोटने के कारण पीड़ित की दम घुटने से मृत्यु हो गई।

3.3. पहले अं.अधि. अभि.स.-12 थिरु जी. अय्यनार के अनुसार, अपीलकर्ता को घटना के लगभग नौ घंटे बाद पेरम्बलुर न्यू बस स्टैंड पर एक महिला वॉशरूम के पास शाम लगभग 5 बजे गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी के बाद, अपीलकर्ता ने उस साड़ी की पहचान की जिससे बच्चे का गला घोंटा गया था; कथित रूप से खून के दाग वाली साड़ी को गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया था; और गिरफ्तारी के बाद अपीलकर्ता ने एक इकबालिया बयान दिया जिसे गवाहों की उपस्थिति में अभि.स.-12 द्वारा दर्ज किया गया था। बाद में, अभि.स.-14 डी शिवसुब्रमण्यन ने जाँच अपने हाथ में ले ली और अपीलकर्ता के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप-पत्र दायर किया। समर्पण के बाद और अपीलकर्ता द्वारा आरोप से इनकार करने पर, मामले की सुनवाई सत्र मामला संख्या 9/2008 के रूप में सत्र न्यायाधीश, महिला न्यायालय, पेरम्बलुर द्वारा की गई थी।

4. मुकदमे में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल चौदह गवाहों से पूछताछ की गई। प्रथम गवाह अभि.स.-1 बशीरा, अपीलकर्ता की सास और मुखबिर से घटना से संबंधित प्रमुख गवाह के रूप में पूछताछ की गई। चार अन्य गवाह, अभि.स.-1 की बेटी, अभि.स.-2 मुमताज; अभि.स.-1 की दूसरी बहू, अभि.स.-3 आशा बेगम; अभि.स.-1 की मकान मालिक, अभि.स.-4 शरफुनिशा; और अभि.स.-1 की पड़ोसी, अभि.स.-5 थिरू-ज्योति को घटना

के तुरंत बाद अपराध स्थल पर पहुंचने वाले गवाह होने का दावा किया गया था। अभि.स.-8 डॉ. सरवनन और अभि.स.-13 डॉ. कार्तिकेयन ए. ने पीड़ित बच्चे की थायराइड उपास्थि हड्डी के संबंध में क्रमशः पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और रिपोर्ट में गवाही दी। अभि.स.-9 देवराज, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी और अभि.स.-7 सादिक अली से जाँच की प्रक्रिया से संबंधित गवाहों को प्रमाणित करने के लिए पूछताछ की गई। अभि.स.-10 सुब्बुलक्ष्मी ने अभि.स.-1 का बयान दर्ज किया था और प्राथमिकी लिखी थी जबकि अभि.स.-11 मोहम्मद मुनवर खान फोटोग्राफर थे जिन्होंने घटना स्थल की तस्वीरें ली थीं। जैसा कि देखा गया है, अभि.स.-12 थिरु जी. अय्यनार ने प्रारंभिक जांच की, जबकि अभि.स.-14 डी. शिवसुब्रमण्यन, एसआई, पेरम्बलुर ने जांच पूरी की और आरोप-पत्र दायर किया। अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले इन गवाहों के अलावा, एक अन्य गवाह अभि.स.-6 जमाल मोहम्मद, अपीलकर्ता के पिता थे जिन्होंने इसके विपरीत कहा और दावा किया कि अपीलकर्ता अपने गाँव कोलक्कुडी में उनके साथ था। दूसरे शब्दों में, इस गवाह ने अपीलार्थी की अन्यत्र होने की याचिका का समर्थन किया।

5. यद्यपि वर्तमान अपील के प्रयोजन के लिए अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य का विस्तार आवश्यक नहीं है, लेकिन आग्रह की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हम बयानों के प्रासंगिक भाग पर ध्यान दे सकते हैं, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों के दावों में कुछ विसंगतियों/विषमताओं के संदर्भ में और अपीलार्थी की अन्यत्र होने की याचिका के संदर्भ में भी।

5.1. अभि.स.-1 बशीरा अभियोजन पक्ष के लिए प्रमुख गवाह रहे हैं। अपनी गवाही में उसने कहा कि उसके बेटे अब्दुल रहीम ने अपीलकर्ता से शादी की थी; शादी के बाद अपीलकर्ता को एक लड़की हुई; और अब्दुल रहीम अपनी कमाई का सारा पैसा अपीलकर्ता को भेज रहा था। उसने आगे कहा कि अब्दुल रहीम ने उसे यह कहने के लिए फोन किया था कि उसकी बेटी को पेरम्बलुर के एक स्कूल में भर्ती कराया जाए जिसके लिए वह पैसे भेजेगा; और बाद में, 18.06.2007 को अपीलकर्ता के पिता, अभि.स.-6

जमाल मोहम्मद ने अपीलकर्ता और बच्चे को पेरम्बलुर में बच्चे को शिक्षित करने के अनुरोध के साथ अभि.स.-1 के घर छोड़ दिया क्योंकि अब्दुल रहीम कथित तौर पर अपीलकर्ता को कोई पैसा नहीं भेज रहा था। उसने कहा कि 21.06.2007 की सुबह, अपीलकर्ता ने उसे रु. 100 दिए और इडली खरीदने के लिए कहा; जब वह घर वापस आई तो अपीलकर्ता चुपचाप बच्चे के बगल में बैठी थी; और पूछने पर अपीलकर्ता ने उसे बताया कि उसने बच्चे को मार दिया है। जिरह के दौरान, इस गवाह ने कहा कि वह घटना के तुरंत बाद अपीलकर्ता के साथ पुलिस स्टेशन गई थी। उनके बयान के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:-

".....लगभग 10 महीने पहले, छठे महीने के अठ्ठारवें दिन, मेरी बहू के पिता जमाल मोहम्मद अपनी बेटी, सीमांत आरोपी और हमारे पोती को पेरम्बलुर में मेरे घर लाए थे। मेरी बहू के पिता अपनी बेटी, सीमांत आरोपी से कह रहे थे कि अगले दिन, 19 तारीख को वह अपने गाँव चला जाएगा और उसे सब कुछ संभालना होगा। सीमांत आरोपी ने उसके पिता से कहा कि वह उसकी देखभाल करेगी। अगले दिन 19 तारीख को आरोपी के पिता अपने गाँव वापस चले गए। उसके अगले दिन, बीसवें बुधवार को हमने खाना बनाया और खाना खाया और मेरी बेटी मुमताज के घर में मौजूद थे। मैं उसके घर से 4 या 5 घर दूर अलग रह रही हूँ। (गवाह वही दोहराती है।) मैंने सीमांत आरोपी से कहा कि वह अपनी बेटी के साथ मेरे घर आए और हम पोती को स्कूल में दाखिला दिलायेंगे। आरोपी ने कहा कि ठीक है और उस दिन बुधवार की रात, मैं, आरोपी और पोती फरहाना तीनों सोने के लिए उस घर में गए जहाँ मैं किरायेदार के रूप में रह रही हूँ। अगले दिन सुबह करीब 6 पूर्वाह्न सोसायटी से दूध लेने गई। मैंने दूध खरीदा और चाय बनाई और उसे दिया। इसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं मीट ले आती हूँ। इसपर सीमांत अभियुक्त ने कहा कि मीट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मुझे रु.100/- दिया और मुझे इडली लेने के लिए कहा।

सुबह के लगभग 7 बजे होंगे। पूर्वाह्न में स्थानीय बाजार पहुँची। इसमें कुछ समय लगा। उस समय तक मुझे रु.100/- का छुट्टा और इडली मिल गई और मैं घर वापस आ गई। उसी दिन 21 तारीख को सुबह 6 बजे मेरा बेटे अब्दुल ने पूर्वाह्न विदेश से मेरी बेटी मुमताज को फोन किया था। उक्त जानकारी मुझे मेरी बेटी मुमताज ने इडली लेने के बाद घर जाते समय दी थी, क्योंकि मेरी बेटी मुमताज का घर रास्ते में स्थित है, उसने इडली खरीदी और मेरे घर चली गई। जो चाय मैंने एक गिलास में रखी थी, वह ज्यों कि त्यों थी। वह चाय मैंने अपनी पोती के लिए रखी थी। ज्यों कि त्यों थी। उस समय तक आरोपी वाहिदा मेरी पोती के पास बैठी हुई थी जो वहाँ लेटी हुई थी। मैंने मुमताज द्वारा दी गई जानकारी उसे बताई और उसे पोती को जगाने और उसे चाय देने के लिए कहा। इस समय आरोपी चुपचाप बैठी थी। जब मैं आरोपी को अपनी पोती के स्कूल में दाखिले के बारे में बता रही थी कि उसे मेरे बेटे अब्दुल रहीम से फोन पर बात करनी है, तो आरोपी ने मुझसे पूछा कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। मैंने आरोपी से पूछा, "मैं तुमको क्या बता रही हूँ और तुम मुझसे क्या पूछ रही हो।" इस पर सीमांत आरोपी ने कहा कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। मैंने उससे कहा, "कोई भी माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है वह बच्चे को नहीं मार सकती। तुम झूठ बोल रही हो।" इस पर सीमांत आरोपी ने कहा कि उसने वास्तव में अपने बच्चे की हत्या कर दी है। जब मैं आरोपी को कह रही थी कि वह एक बार फिर झूठ बोल रही है, उस समय मेरी बेटी मुमताज और मेरी बहू आशा बेगम दोनों मेरे घर में आ गईं। मैंने फिर से आरोपी से कहा, "तुम झूठ बोल रही हो।" और उसे बच्चे को जगाने के लिए कहा। लेकिन आरोपी ने फिर से कहा कि उसने बच्चे को मार दिया है। मैंने अपनी पोती का सिर हिलाया। मेरी पोती की नाक से खून निकल रहा था। मेरी पोती फरहाना मर चुकी थी। जब मैंने देखा कि मेरी पोती मर गई है,

में चिल्लाते हुए बाहर आई, और जैसा मैंने पहले कहा था, मेरी बेटी मुमताज, मेरी बीच वाली बहू आशा बेगम वहाँ आ गई। लोग भी जमा हो गए। मुझे चक्कर आ रहे थे। वे मुझे पड़ोसी के घर ले गए और वहाँ बैठा दिया। अनवर बाशा ने फोन किया था। पुलिस अधिकारी हमारे घर आए। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया और मुझसे पूछताछ की। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। पुलिस अधिकारियों ने मेरा बयान दर्ज किया जिसपर मैंने अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाया था। यह मुझे दिखाया गया था। जब गवाह को दिनांक 21.06.2007 की शिकायत दिखाई गई और उसके बारे में पूछा गया, और गवाह ने उसे स्वीकार कर लिया था, तो उपरोक्त शिकायत को प्रदर्श पी 1 के रूप में चिह्नित किया गया था। आरोपी ने मुझे बताया कि उसने साड़ी (मुंडनई) के बाहरी छोर को उसके गले में लपेट दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। जब पुलिस अधिकारियों ने मुझसे पूछताछ की तो मैंने बयान दिया कि क्या हुआ था।

प्रति परीक्षा : मेरी पोती की मृत्यु के दिन सुबह लगभग 08:30 बजे पुलिस अधिकारी हमारे घर आए। आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने देखा कि बच्ची मर चुकी है, पुलिस अधिकारी मुझे और सीमांत आरोपी, मेरी बहू को थाने ले आए। मैंने वही विवरण दिया जो मैंने मुख्य परीक्षण के समय थाने में दिया था । अगर कोई मेरे घर के सामने जोर से चिल्लाता है, तो उसकी आवाज़ मेरी बेटी मुमताज के घर के लोग तक पहुँचती है। मेरा बेटा शम्सुद्दीन और उसकी पत्नी आशा बेगम दोनों किसी और गली में रह रहे थे। जब मैं इडली खरीद कर वापस आई, तो आशा बेगम और शम्सुद्दीन मेरी बेटी मुमताज के घर में मौजूद नहीं थे। यह कहना गलत है कि हमने अपनी पोती को स्कूल में दाखिला देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, 20 तारीख की सुबह आरोपी के पिता ने हमारी पोती फरहाना को हमारे घर में छोड़ दिया था और कोल्लाकुडी गांव चले गए थे । जब मैंने देखा

कि बच्ची मर चुकी थी और मैं घर से बाहर आई और चिल्लाने लगी तो लगभग 10 या 15 फीट की दूरी पर मुमताज और आशा बेगम आ रही थीं। मेरे मकान मालिक का नाम माजिद है। मैं बरामदे के एक हिस्से में रह रही थी जो एस्बेस्टस शीट से ढका हुआ था। इसका केवल एक ही द्वार है। चूंकि जिस जगह पर मैं रहती थी वह एक बरामदा है, इसलिए उसमें कोई खिड़कियां नहीं हैं। जब मैंने इडली लेकर वापस आई तो घर का दरवाजा कसकर बंद किया हुआ था। मैंने उसे जोर से खटखटाया और खोला। ...यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस जांच के दौरान यह बयान नहीं दिया था कि अगले दिन सुबह 6 बजे मैं सोसायटी से दूध लेने गई थी और दूध लाइ थी। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस जांच के दौरान यह बयान नहीं दिया था कि चाय बनाने और अपनी बहू को देने के बाद सीमान्त आरोपी ने मुझे रु.100/- इडली लेने के लिए दिए और मैं स्थानीय बाजार में इडली लेने गई और जब मैं इडली लेकर अपनी बेटी मुमताज के घर के रास्ते से वापस आ रही थी तो उसने मुझे बताया कि अब्दुल रहीम ने मुमताज से फोन पर बात की थी। यह कहना गलत है कि जैसा कि मैंने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान गवाही दी थी, मैंने शिकायत के बयान में और साथ ही पुलिस जांच के दौरान यह उल्लेख नहीं किया कि जब मैं वापस आया तो मेरी पोती के लिए रखी गई चाय जैसी थी वैसी ही थी, और जब मैंने आरोपी से पूछा कि उसने पोती को क्यों नहीं जगाया और उसे चाय क्यों नहीं दी, तो वह चुप बैठी थी, और जब मैंने फिर से पूछा तो आरोपी ने कहा कि उसने बच्चे को मार दिया था। मेरा सबसे बड़ा बेटा जमाल मोहम्मद और मेरा दूसरा बेटा शम्सुद्दीन ही विदेश से पैसे भेज रहे थे। यह कहना गलत है कि चूंकि अब्दुल रहीम ने मेरी देखभाल नहीं की, इसलिए उसकी शादी के बाद मैं उससे नाराज हूं। यह कहना गलत है कि अगर मेरे बेटे अब्दुल रहीम और आरोपी ने मेरी देखभाल नहीं की तो उन्होंने

मेरी पोती फरहाना को मुझे सौंप दिया था। अगर यह कहा जाए कि इस गुस्से के कारण मैंने और मेरी बेटी मुमताज ने मिलकर मेरी पोती की हत्या कर दी, तो यह गलत है। यदि यह कहा जाता है कि विदेश से आए शामुद्दीन ने पैसे दिए थे और अपने प्रभाव से मेरा इस्तेमाल कर आरोपी के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज कराया था, तो वे सभी गलत हैं। अगर यह कहा जाए कि बच्चे की मौत की खबर सुनने के बाद कोल्लाकुडी गांव से शाम 5 बजे पेरम्बलुर आई आरोपी को हम सभी ने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया, तो सभी गलत हैं।"

5.2. अभि.स.-1 की बेटी अभि.स.-2 मुमताज की गवाही, घटना से उसकी करीबी को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक मानी जाती है, जैसा कि अभि.स.-1 ने दावा किया है। उनके बयान के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:-

".....सीमांत अभियुक्त की बेटी का नाम फरहाना है। 21 जून, 2007 को बच्चे की मृत्यु हो गई। दो दिन पहले, आरोपी और उसकी बेटी मेहमान के रूप में पेराम्बुर में रुके थे। मेरी माँ एक घर में अलग रह रही हैं जो मेरे घर से थोड़ा दूर है। उस समय तक मेरी माँ के साथ पेरम्बलुर आए सीमांत आरोपी और उनकी बेटी रह रहे थे। आरोपी और उसकी बेटी मेरी माँ के घर में अलग-अलग रह रहे थे। घटना के दिन सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच मेरी माँ इडली लेने गई थीं। जब मेरी माँ ने इडली ले ली और घर चली गई, तो वह चीख पड़ी। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हम उस स्थान पर गए। मैंने देखा कि आरोपी की बेटी मर चुकी है। जब मैंने सीमांत आरोपी से पूछा, उसने कहा कि उसने बच्चे को मार दिया है। (गवाह ने एक बार फिर यह दोहराया)। उस दिन सुबह करीब 7 बजे मेरे छोटे भाई अब्दुल रहीम ने मुझे फोन किया और कहा कि वाहिदा यानी सीमांत आरोपी को कहीं नहीं जाना चाहिए और आरोपी की बेटी को स्कूल में भर्ती कराना है। मेरे छोटे भाई अब्दुल रहीम ने मुझे

फोन पर बताया कि मुझे आरोपी को पेरम्बलुर में स्कूल में दाखिला दिलाने और अपनी माँ के साथ रहने के लिए कहना है। जब मेरी माँ इडली लेकर वापस आई तो मैंने अपने छोटे भाई अब्दुल रहीम द्वारा फोन पर की गई बातचीत के बारे में बताया। मेरे छोटे भाई ने मुझे फोन पर सीमांत आरोपी को लाने और उसे अपने घर में रखने के लिए कहा और इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाती, यह घटना हो गई थी। मैंने देखा कि फरहाना की नाक और मुंह से खून निकल रहा था। जब पुलिस अधिकारियों ने मुझसे पूछताछ की, तो मैंने उपरोक्त विवरणों को बयान में डाल दिया। बस इतना ही।

प्रति परीक्षा : जब मेरी माँ को इडली मिली तो वह 5 मिनट के भीतर चिल्लाई। उस समय तक 20-30 लोग वहाँ जमा हो गए थे। तुरंत सुबह 9:30 से 9.45 के बीच पुलिस अधिकारी वहाँ पहुंचे। जब मैं गई और आरोपी को देखा और पूछा, तो आरोपी चुप थी और मुख्य परीक्षा में मेरे द्वारा बयान दिया गया और पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान यह बयान नहीं दिया गया था। मैंने पुलिस अधिकारियों को जाँच के दौरान उस दिन सुबह 7 बजे अब्दुल रहीम के फोन कॉल के बारे में, बातचीत के विवरण के बारे में और मेरे द्वारा अपनी माँ को सूचित करने के बारे में गवाही नहीं दी, जैसा कि मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में गवाही दी थी। शादी के बाद आरोपी और उसके पति का मेरी मां के साथ सहज संबंध नहीं था। इन परिस्थितियों में, यदि यह कहा जाता है कि आरोपी ने मेरी माँ के घर में अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए छोड़ दिया था और 20 तारीख को वह कोलक्कुडी गाँव गई, यह सब झूठ है। छोड़े हुए बच्चे की मौत का कारण मैं और मेरी माँ हैं, यह भी झूठ है।"

5.3. अभि.स.-3 आशा बेगम, अभि.स.-1 की दूसरी बहू भी कथित तौर पर संबंधित समय पर घटना स्थल पर पहुंची। उसने कथित तौर पर

अपीलकर्ता से पूछा कि उसने बच्चे को क्यों मारा, लेकिन अपीलकर्ता ने जवाब नहीं दिया। अपनी जिरह के दौरान, इस गवाह ने उल्लेख किया कि वह घटना से पहले चार साल से अपीलकर्ता से बात नहीं कर रही थी। उनके बयान के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:-

"....सीमांत आरोपी की एक बेटी थी जिसका नाम फरहाना था। उसकी मृत्यु 21.06.2007 पर हुई। घटना के दिन आरोपी, उसकी बेटी अभि.स. 1 बशीरा के साथ उस घर में रह रहे थे, जहाँ बशीरा रह रही थी। इडली लाने के बाद जब मेरी सास चिल्लाई, तो मैं और मेरी साली मुमताज अपनी सास के घर गए। मेरी सास मेरे घर से 5 घर छोड़ के रह रही थी। जब मैं वहाँ गई और देखा, तो आरोपी का बच्चा ढिलमिल था। एक नर्स आई और बच्चे को देखकर पुष्टि की कि बच्चा मर चुका है। मेरी साली मुमताज ने आरोपी से कहा था, "तूने ऐसा क्यों किया? अगर आपको बच्चा पसंद नहीं है, तो आप उसे मेरे साथ छोड़ देते" और वह अपने सिर पीट रही थी। मैंने आरोपी से यह भी पूछा, "तुम एक शिक्षित महिला हो, है ना? आपने बच्चे को क्यों मारा" और उस पर चिल्लाया। आरोपी कुछ नहीं बोली। जब पुलिस अधिकारियों ने मुझसे पूछताछ की, तो मैंने उपरोक्त विवरणों को बयान में डाल दिया। अगर यह पूछा जाए कि फरहाना की मौत का कारण कौन है, तो उसकी माँ ही एकमात्र कारण है। बस इतना ही।

प्रतिपरीक्षा : मैंने उन तथ्यों को बयान कर दिया था जो मैंने पुलिस जाँच के दौरान भी मुख्य जाँच में कहे थे। घटना के दिन मेरा पति छुट्टियों के दौरान विदेश से आए थे। मैं और सीमांत आरोपी पिछले चार वर्षों से एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। फरहाना की मौत से दो दिन पहले आरोपी उसके बच्चे के साथ हमारे घर आया था। उसके आने के बाद, उसने मेरे पति को बताया कि सीमांत आरोपी का पति अब्दुल रहीम उसे पैसे नहीं

भेज रहा है और उससे फोन पर बात भी नहीं कर रहा है, और वह अपने बच्चे फरहाना को पढ़ाना चाहती है। मेरे पति ने सीमांत आरोपी से कहा कि इतने सालों तक चुपचाप रहने के बाद अब तुम यहाँ आई हो। इसके बाद, आरोपी बच्चे को लेकर मेरी सास के घर चली गई। पुलिस जाँच के दौरान मैंने अपनी साली मुमताज द्वारा बच्चे का शव देखने के बाद उसके द्वारा आरोपी से की गई पूछताछ का विवरण नहीं बताया। यह कहना गलत है कि फरहाना की मौत का कारण आरोपी नहीं है और चूंकि पिछले चार वर्षों से मेरे और आरोपी के बीच कोई संपर्क नहीं है, इसलिए मैं आरोपी के विरुद्ध झूठे सबूत पेश कर रही हूँ। चूंकि आरोपी हमारे पास नहीं आई थी, इसलिए हमारे बीच कोई संपर्क नहीं है।"

5.4. अभि.स.-1 की मकान मालिक अभि.स.-4 शरफुनिशा ने बयान किया कि जब वह अपने घर वापस आई तो उसने अपीलकर्ता के साथ बच्चे को देखा। गवाह ने यह भी दावा किया कि उसने अपीलकर्ता को यह स्वीकार करते हुए सुना कि उसने बच्चे की हत्या की थी। उनके कथन के प्रासंगिक भागों को भी निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:-

"...अभि.स. 1 बशीरा हमारे घर के एक हिस्से में रह रही है। घटना के समय, सीमांत आरोपी बशीरा के घर अतिथि के रूप में आई थी। तभी मेरी उससे जान पहचान हुई। इससे पहले मैं सीमांत आरोपी को नहीं जानती थी। सीमांत आरोपी अपने बच्चे के साथ बशीरा के घर आई और वहीं रही। 21.6.2007 पर अभियुक्त का बच्चा मर चुका था। मैं अपने बच्चे को बस से स्कूल भेजने के बाद पेरम्बलुर किसान बाजार के पास गई थी और अपने बच्चे को भेजने के बाद अपने घर वापस आ गई। वहाँ लोग बात कर रहे थे कि आरोपी ने अपने बच्चे की हत्या कर दी है। जब मैंने बच्चे को देखा, तो सीमांत आरोपी वहाँ थी। उसने भीड़ को बताया कि उसने अपनी साड़ी (मुंडनई) के बाहरी छोर को अपने बच्चे के गले में बांधकर उसे मार डाला था। मैं

उस समय वहाँ मौजूद थी। जब पुलिस अधिकारियों ने मुझसे पूछताछ की तो मैंने उपरोक्त विवरणों को बयान में डाल दिया।

प्रतिपरीक्षा: बशीरा पिछले दो वर्षों से रु.350 के मासिक किराए के साथ हमारे घर में किरायेदार के रूप में रह रही है। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस जांच के दौरान यह बयान नहीं दिया कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजने गई थी और अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने अपने घर में भीड़ देखी। मैंने पुलिस अधिकारियों को यह नहीं बताया कि आरोपी ने भीड़ से कहा था कि उसने साड़ी (मुंडनई) के बाहरी छोर से बच्चे को बांध दिया था। यह कहना गलत है कि मैं आरोपी को नहीं जानती और मैंने आरोपी को उसके बच्चे की मृत्यु के दिन नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि चूंकि बशीरा हमारा किरायेदार है, इसलिए मैं गलत सबूत पेश कर रही हूँ।"

5.5. अभि.स.-1 के पड़ोसी अभि.स.-5 थिरू-ज्योति ने गवाही दी कि उसने अपीलकर्ता को दस मिनट के लिए देखा था, जब अपीलकर्ता मृत बच्चे के शव के पास बैठी थी। उसके बयान को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:-

"मेरा नाम ज्योति है। मेरे पिता का नाम वीरासामी है। मैं पेरम्बलुर में रहती हूँ। गवाह बशीरा हमारे घर के बगल वाले घर में रहती है। लगभग 4-5 महीने पहले बच्चे की मृत्यु के दिन मैंने आरोपी को 10 मिनट के लिए देखा था। उस दिन सीमांत अभियुक्त के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। मैंने सीमांत आरोपी को सिर्फ बच्चे की मृत्यु के दिन देखा था जब वह उस घर में बच्चे के शव के पास बैठी थी जहां गवाह बशीरा रह रही थी। उस समय तक लगभग 8 या 8.15 बजे होंगे। अभि.स. 1 बशीरा रो रही थी और कह रही थी कि जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया था, उसी ने बच्चे की हत्या कर दी थी। मैंने उसे सीधा थाने जाने के लिए कहा। मैंने यह बात पुलिस की जाँच के समय कही थी।

प्रतिपरीक्षा : यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस जाँच के दौरान मुख्य जाँच में उल्लिखित विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैं गलत सबूत पेश कर रही हूँ।"

5.5. जैसा कि देखा गया, अभियोजन पक्ष ने पीड़ित बच्चे के शव के पोस्टमार्टम के संबंध में दो चिकित्सा अधिकारियों से पूछताछ की, जिन्होंने मृत शरीर पर देखी गई चोटों और मृत्यु के कारण के बारे में गवाही दी। अभि.स.-8 डॉ. सरवन्न ने गवाही दी कि गर्दन के चारों ओर 20 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा घाव था; और थायराइड उपास्थि की हड्डी टूट गई थी, जो गला घोंटे जाने का संकेत थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर साड़ी के बाहरी छोर को मोड़ कर गर्दन में डालकर गला घोंट दिया जाता है, तो बच्चे को इस तरह के घाव होने की संभावना होती है। जिरह के दौरान उन्होंने कहा कि गले में साड़ी बांधने पर घाव 2 सेंटीमीटर से अधिक होगा। हालांकि, पुनः परीक्षण में, उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि साड़ी को पूरी तरह से छोटे माप में मोड़ा जाता है तो घाव 2 सेंटीमीटर से कम हो सकता है। अभि.स.-13 डॉ. कार्तिकेयन ए. थायराइड उपास्थि हड्डी के संबंध में रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर रहे हैं। उनकी जांच के अनुसार, थायराइड की हड्डी का फ्रैक्चर मृत्यु से पूर्व हुआ था और इसकी संभावना थी कि यह गला घोंटने के कारण हुआ था। हालांकि, जिरह के दौरान उन्होंने कहा कि अगर साड़ी का उपयोग करके गला घोंटा जाता है, तो निशान की संभावना कम होती है। तथ्य यह है कि पीड़ित बच्ची की मौत गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई यह विवादस्पद नहीं है और इसलिए, हमें इन गवाहियों पर विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है।

5.7. इस मामले से संबंधित पुलिस कर्मियों के संबंध में, पेरम्बलुर की उप-निरीक्षक अभि.स.-10 सुब्बुलक्ष्मी ने अभि.स.-1 का बयान और प्राथमिकी दर्ज की। उसके अनुसार लगभग सुबह 9:00 बजे, अभि.स.-1 शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने आई। जिरह के दौरान, उसने स्पष्ट किया कि अभि.स.-1 ने अपनी मूल शिकायत में यह नहीं बताया था कि यह जानने के बाद कि बच्चा मर चुका है, वह अपने घर से बाहर आकर चिल्लाई और घटना के तुरंत बाद अपीलकर्ता को थाने नहीं लाई। उसने प्रतिपरीक्षा में इस

बात का भी खंडन किया कि वह 8 बजे घटना स्थल पर पहुँची थी और गवाहों के साथ-साथ अपीलकर्ता को भी थाने ले आई। अभि.स.-10 की गवाही के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:-

"...21.6.2007 को सुबह 9 बजे जब मैं ड्यूटी पर थी, तो नंबर 230/48डी, क्रॉस स्ट्रीट, रेंगा नगर, पेरम्बलुर में रहने वाली 65 वर्षीय मोहम्मद कासिम की पत्नी बशीरा थाने आई और मेरे द्वारा लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद मैंने बशीरा को बयान पढ़कर सुनाया था। उसने बयान तस्दीक किया और जैसा कि उसने कहा कि वह हस्ताक्षर करना नहीं जानती, मैंने शिकायत में उसके बाएं अंगूठे का निशान लगवाया।

प्रतिपरीक्षा : मुझे दी गई शिकायत में यह नहीं बताया गया था कि घटना के बाद सीमांत आरोपी को शिकायतकर्ता बशीरा द्वारा पेरम्बलुर थाने लाया गया था। जब बशीरा ने गवाही दी थी तो अनवर बाशा उसके साथ थे। गवाह बशीरा ने शिकायत में यह नहीं बताया था कि बच्चे को मृत पाकर बशीरा घर से बाहर आई और चिल्लाई और उसके बाद गवाह मुमताज और आशा बेगम वहाँ आईं। बशीरा ने इस शिकायत में यह नहीं बताया था कि वह 6 बजे सोसाइटी से दूध लेने गई थी उसने शिकायत में यह नहीं बताया था कि जब वह दूध खरीद कर रास्ते में आई तो वह अपनी बेटी मुमताज से उसके घर पर मिली और उससे बात की। गवाह बशीरा ने शिकायत में यह नहीं कहा कि घर आने के बाद आरोपी ने इडली लेने के लिए सौ रुपये दिए थे जिसे लेकर वह इडली लेने के लिए स्थानीय बाजार चली गई थी। गवाह बशीरा ने शिकायत में मैं यह नहीं बताया था कि जब वह घर आई तो घर का दरवाजा बंद था और उसने दरवाजा खटखटाने के बाद खोला। अगर यह कहा जाए कि घटना के बारे में पता चलने के बाद मैं सुबह 8 बजे ही घटना स्थल पर पहुंचकर गवाह बशीरा,

मुमताज और आशा बेगम को थाने लाई थी, तो वे सभी गलत हैं। यदि यह कहा जाता है कि उस समय मैंने उपरोक्त गवाहों के साथ सीमांत आरोपी को लाई थी, तो यह भी गलत है।”

5.8. अभि.स.-12 थिरु जी. अय्यनार मामले में पहले अन्वे.अ. थे। उन्होंने कहा कि उन्हें 21.06.2007 को सुबह 10:15 बजे प्राथमिकी मिली और उन्होंने जाँच शुरू कर दी। इस उद्देश्य के लिए, वह घटना स्थल पर गए और कुछ गवाहों से पूछताछ की; मजार तैयार किया; और चटाई और तकिये जैसी वस्तुओं को जब्त कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पेरम्बलुर न्यू बस स्टैंड पर अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया और गवाहों की उपस्थिति में उसका इकबालिया बयान दर्ज किया। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध में इस्तेमाल की गई साड़ी को जब्त कर लिया गया है। उनकी गवाही के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

“...उसी दिन लगभग शाम 05:00 बजे, मैंने आरोपी वाहिदा को पेरम्बलुर नए बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था। मैंने सीमांत अभियुक्त से पूछताछ की उसका इकबालिया बयान गवाह देवराज और परमेश्वरन के सामने दर्ज किया। सीमांत आरोपी ने अपने कबूलनामे में कहा कि उसने अपनी पहनी साड़ी से बच्चे की गर्दन गला दबाकर हत्या कर दी थी। इकबालिया बयान के प्रस्तुत हिस्से को पहले ही प्रदर्श पी9 के रूप में चिह्नित किया जा चुका था। इकबालिया बयान के अनुसार, उसने जो साड़ी पहनी थी, उसे मैंने महिला पुलिस की सहायता से जब्त कर लिया था। उसी का महाज़र मुझे दिखाया गया था। उसे पहले ही प्रदर्श पी8 के रूप में चिह्नित किया जा चुका था। मेरे द्वारा जब्त की गई साड़ी वही है जो मुझे दिखाई गई थी। इसे पहले ही एम.ओ. 3 के रूप में चिह्नित किया जा चुका था।..

प्रतिपरीक्षा : महाज़र प्रदर्श पी8 में, यह संकेत दिया गया था कि उप.नि, सुब्बुलक्ष्मी ने आरोपी को दूसरी साड़ी दी थी। जिस आरोपी को उस दिन शाम 5:00 बजे गिरफ्तार किया गया था,

उसे मैंने शाम 06:45 बजे तक पेरम्बलुर नए बस स्टैंड में ही रखा था। इकबालिया बयान के अंतिम भाग में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि उप-निरीक्षक सुब्बुलक्ष्मी को दूसरी साड़ी लेने के लिए भेजा गया था। ऐसा कहा गया था कि एक महिला पुलिस को भेजकर दूसरी साड़ी लाई गई थी। पेरम्बलुर में प्रकाशित होने वाले शाम का समाचार पत्र शाम 05:00 बजे आते हैं। अगर यह कहा जा रहा है की शाम 05:00 बजे प्रसारित दिनांक 21.6.2007 के मलई मलार समाचार पत्र में लिखा था कि इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैंने ऐसी कोई खबर नहीं दी। अगर यह कहा जाता है कि उसी अखबार की खबर में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी बशीरा से पूछताछ कर रहे हैं, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। गवाह बशीरा और मुमताज ने गवाही दी थी कि घटना समाप्त होने के बाद, सीमांत आरोपी घर से भाग गई थी। अगर कहा जा रहा है कि दिनाकरन और दिनमलार समाचार पत्रों में लिखा गया था कि घटना के बाद बच्चे की माँ बच्चे के पास लेटी हुई थी, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि बच्चे की मृत्यु के बाद सीमांत आरोपी घर से भाग गई थी और हमने झूठी खबर प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि सीमांत आरोपी मृतक बच्चे के पास लेटी हुई थी। यह कहना गलत है कि गवाह बशीरा, मुमताज और आशाबेगम ने मेरी जाँच के दौरान गवाही दी थी कि उन्होंने देखा था कि बच्चा मर चुका था। यह कहना गलत है कि 20.06.2007 पर ही, सीमांत आरोपी ने अपनी बच्ची को गवाह बशीरा पास छोड़ दिया था, और वह उसी दिन कोलक्कुडी गाँव गई थी। यह कहना गलत है कि 21.06.07 पर, कोलाक्कुडी गाँव में रहने वाले आरोपी को जानकारी थी कि उसका बच्चा मर चुका है और वह बस से पेरम्बलुर आई थी और जब वह नीचे उतरी, तो मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया था।"

5.9. अभि.स.-14 डी. शिवसुब्रमण्यन जांच के बाद के हिस्से को कार्यान्वित करने वाले अन्य पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए और फिर आरोप-पत्र दायर किया। वर्तमान स्थिति में हमें इस गवाह या अन्य गवाहों की गवाही के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है जो फोटोग्राफर और प्रमाणक गवाहों सहित जांच का हिस्सा रहे थे।

5.10. अपीलकर्ता के पिता अभि.स.-6 जमाल मोहम्मद की गवाही वर्तमान मामले में प्रासंगिक है, विशेष रूप से क्योंकि उन्होंने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया और अपीलकर्ता द्वारा दी गई अन्यत्र होने की याचिका के समर्थन करते हुए गवाही दी कि उन्होंने 20.06.2007 को बच्ची को अभि.स.-1 के पास छोड़ दिया था और अपीलकर्ता को उसके साथ कोलक्कुडी गाँव ले गए थे, और अगले दिन, वह बच्चे की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अपीलकर्ता के साथ पेरम्बलुर आए जब अपीलकर्ता को बस स्टैंड पर गिरफ्तार किया गया था। इस गवाह को पक्षद्रोही साक्षी माना गया था और अभियोजन पक्ष को उसकी प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, बचाव पक्ष द्वारा उनसे जिरह नहीं की गई थी। इस गवाह के बयान के प्रासंगिक भागों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:-

".... 16.06.2007 पर मैंने विदेश से आए शम्सुद्दीन को फोन किया था। उन्होंने मुझे सोमवार को आने के लिए कहा। 18 तारीख को मैं अपनी बेटी, सीमांत आरोपी और अपनी पोती फरहाना को लेकर शम्सुद्दीन के घर गया। मैंने शम्सुद्दीन से बात की कि अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए पेरम्बलुर छोड़ दिया जाए और अगर वह उनकी सुरक्षा में है, तो अब्दुल रहीम पैसे भेजेगा। शम्सुद्दीन ने यह मुझे अपनी माँ को यह बताने के लिए कहा। मैं वहाँ गया और यह बताया। उन्होंने मुझे अपनी बेटी मुमताज को भी यही बताने के लिए कहा। इस तरह, मैं 3 दिनों से बता रहा था। उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। जब मैंने गाँव

जाना शुरू किया, तो मेरे दामाद की माँ ने मुझे अपनी पोती फरहाना को अकेला छोड़ने और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। 20 वें बुधवार को शाम 6 बजे मैं अपनी बेटी को अकेला ले गया और कोलक्कुडी गाँव चला गया। अगले दिन सुबह हमें फोन पर जानकारी मिली कि बच्ची फरहाना मर चुकी है। हम पेरम्बलुर पहुँचे। उन्होंने मेरी बेटी को गिरफ्तार कर लिया था। मेरे दामाद अब्दुल रहीम पर्याप्त पैसे नहीं भेज रहे हैं। इन परिस्थितियों में, इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही साक्षी माना गया था और प्रतिपरीक्षा के लिए अनुमति मांगी गई थी। जिरह के लिए अनुमति दी गई थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा : चूंकि अब्दुल रहीम ने पैसे ठीक से नहीं भेजे और परिवार का प्रबंधन नहीं किया, इसलिए हमने उनके बच्चे को पेरम्बलुर में छोड़ दिया। किसी ने हमें पेरम्बलुर जाने के लिए नहीं कहा। हम स्वयं परिवार के सबसे बड़े बेटे शम्सुद्दीन के पास गए। चूंकि पेरम्बलुर में किसी ने जवाब नहीं दिया था, इसलिए हमने बच्चे को फिर से कोलक्कुडी ले जाने के लिए कदम नहीं उठाए। जैसे ही उसने यानी मेरे दामाद की माँ ने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए कहा, हम बच्चे को छोड़कर वहाँ से चले गए। मैं पहले विदेश में काम कर रहा था। वर्तमान में मैं मुर्गी की दुकानों का व्यवसाय चला रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस जांच के दौरान गवाही दी थी कि सीमांत आरोपी मेरी बेटी मुझे यह बता के कि वह सास के घर और अस्पताल जा रही है, किसी और रास्ते जा रही थी, तो यह सही नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने मेरी जाँच नहीं की। यदि कहा जाए कि सीमांत अभियुक्त मेरे घर में ठीक से नहीं रह रहा था और अभियुक्त का आचरण अच्छा नहीं है और यदि पता चलता है कि यह मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को खराब कर देगा, और इसलिए मैंने इसका खुलासा नहीं किया, तो यह गलत होगा। यह कहना गलत है कि पुलिस जांच के दौरान,

मैंने गवाही दी थी कि मेरे दामाद, जिन्हें ये सभी विवरण पता चले थे, ने फोन पर कॉल किया था और मुझसे कहा था कि वे आरोपी और उसके बच्चे को गवाह बशीरा के घर छोड़ दें। यह कहना गलत है कि पुलिस जांच के दौरान मैंने बयान दिया था कि इसके बाद मैंने आरोपी और उसके बच्चे को अलग कर लिया था और उन्हें गवाह बशीरा के घर में छोड़ दिया था। यह कहना गलत है कि पुलिस जांच के दौरान, मैंने गवाही दी थी कि जब मैं उन्हें छोड़ पेरम्बलुर से निकलने लगा, तो आरोपी ने मुझसे कहा कि वह पेरम्बलुर में नहीं रह सकती और वह जल्द ही मेरे पास आएगी और जैसा कि आरोपी के पति ने कहा था कि मैंने उसे ऐसा करने की सलाह दी थी और मैं वहां से चला गया था। यह कहना गलत है कि पुलिस जांच के दौरान मैंने गवाही दी थी कि अगले दिन मुझे फोन पर पता चला कि मेरी बेटी, सीमांत आरोपी ने मेरी पोती फरहाना की हत्या कर दी थी और उसके बाद मैं पेरम्बलुर आया और अपनी पोती को देखा जो मर चुकी थी और आरोपी भाग गई थी। यह कहना गलत है कि पुलिस जांच के दौरान मैंने बयान दिया था कि चूंकि आरोपी पेरम्बलुर में सनक और कल्पना के अनुसार काम नहीं कर सकता था, इसलिए आरोपी ने उसके बच्चे की हत्या कर दी थी, तो यह गलत है। यह कहना गलत है कि चूंकि आरोपी मेरी बेटी हैं, इसलिए मैं गलत सबूत पेश कर रहा हूं।"

5.11. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अपनी जांच के दौरान अपीलकर्ता ने अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताते हुए उनसे इनकार कर दिया।

6. अभिलेख की उपरोक्त स्थिति में विचारण न्यायालय ने पक्षों को सुना और दिनांक 15.10.2009 के अपने निर्णय और आदेश के माध्यम से मामले में निर्णय करने के लिए अग्रसर हुए।

6.1. विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि अभि.स.-1 से अभि.स.-3 संबंधित गवाह थे, लेकिन अभि.स.-4 और अभि.स.-5 स्वतंत्र गवाह थे जिन्होंने बच्चे और अभियुक्त-अपीलकर्ता को एक साथ देखा था और उनको अपीलकर्ता के विरुद्ध गवाही देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विचारण न्यायालय ने यह भी माना कि अभि.स.-1 की गवाही को केवल मामूली विरोधाभासों के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है, यह देखते हुए कि वह अपनी उम्र और अन्य कारकों के कारण कुछ विवरणों को याद नहीं रख पाई होगी। विचारण न्यायालय ने पक्षद्रोही साक्षी अभि.स.-6 के बयान का भी उल्लेख किया, जिसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अपीलकर्ता को बस स्टैंड पर गिरफ्तार किया गया था; और कहा कि अपीलकर्ता अन्यत्र होने का दावा साबित नहीं कर पाई थी क्योंकि दो स्वतंत्र गवाहों ने उसे घटना स्थल पर देखा था। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने माना कि चिकित्सीय परीक्षणों से निर्धारित मृत्यु के कारण मौखिक गवाही के अनुरूप थे।

6.2. यह पता लगाने के बाद कि अपीलकर्ता पीड़ित बच्ची के साथ देखी जाने वाली अंतिम व्यक्ति थी, जैसा कि अभि.स.-1 से अभि.स.-5 की गवाही द्वारा स्थापित किया गया है, विचारण न्यायालय ने परिस्थितियों की श्रृंखला को स्थापित करने वाले ठोस साक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता द्वारा पीड़ित बच्चे की हत्या किये जाने का दावा संदेह से परे साबित करने के दायित्व का निर्वहन किया था। विचारण न्यायालय ने अपने निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार दिया:-

"38. हमारे समक्ष मामले में भी, आरोपी समृद्धि के साथ स्वतंत्र विलासपूर्ण जीवन जी रही थी और अपनी बेटी की शिक्षा के लिए अभि.सा.1 के साथ रहने को तैयार नहीं थी, यह विचार किए बिना कि उसने बच्चे को मारने के इरादे से ही जन्म दिया था, वह यह भी अच्छे से जानती थी कि जो वह कर रही थी वह अभि.सा.1 के घर में सुबह 8 बजे बच्चे की मृत्यु का कारण बन जाएगा, जब अभि.सा.1 घर पर मौजूद नहीं थी, तो उसने अपनी

साड़ी के बाहरी छोर को मोड़ दिया था और अपनी 6 साल की बेटी फरहाना, जो सो रही थी, की गर्दन के चारों ओर गला घोटकर हत्या कर दी थी जिससे उसकी थायराइड में उपास्थि हड्डी टूट गई थी और इस तरह उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोप साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्यों को एक श्रृंखला में ठोस तरीके से रखा था।"

6.3. तदनुसार, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत अपराध का दोषी था और जैसा कि पहले बताया गया, उसे सजा सुनाई गई थी।

7. अपीलकर्ता ने आपराधिक अपील सं. 1/2010 में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी, जिसे दिनांक 09.03.2010 के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

7.1. यह स्वीकार करते हुए कि अभि.स.-1 द्वारा दिए गए बयानों में कुछ विसंगतियां थीं, उच्च न्यायालय ने कहा कि विचार करने का एकमात्र बिंदु यह था कि क्या घटना के समय बच्चे को अपीलकर्ता के पास छोड़ दिया गया था; और अभिलेख पर साक्ष्य की विस्तृत जांच के बाद, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की और माना कि अपीलकर्ता मृत बच्चे के साथ देखे जाने वाली अंतिम व्यक्ति थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि मृत्यु कैसे हुई, यह समझाने की जिम्मेदारी अपीलकर्ता पर है। अन्यत्र होने की याचिका को संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसी याचिका मान्य नहीं है क्योंकि अभि.स.-4 और अभि.स.-5 स्वतंत्र गवाह थे, और दोनों ने गवाही दी थी कि अपीलकर्ता 21.06.2007 पर घटना स्थल पर उपलब्ध थी; उसे उसी दिन गिरफ्तार किया गया था जिस दिन उसे मृत बच्चे के साथ देखा गया था; और यह कि वह घटना के समय बच्चे के साथ मौजूद इकलौती व्यक्ति थी। अन्य बातों के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन और अभिनिर्धारण किया:-

"13. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के ध्यान में लाया कि अभि.सा.1 के अनुसार, जब वह घर से लौट रही थी, तो उसने पाया कि आरोपी बच्चे का गला घोट रही थी, जो तथ्य आ.दं.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दिए गए बयानों में उपलब्ध नहीं था। यह सच है कि उसने जब प्रदर्श पी.1 रिपोर्ट दी, तो उसने कहा कि उसने वास्तव में आरोपी/अपीलार्थी को बच्चे का गला घोटते हुए पाया, जो तथ्य आ.दं.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दिए गए बयानों में उपलब्ध नहीं था। फिर भी, इस मोड़ पर विचार करने के लिए एकमात्र बात यह है कि जब घटना के समय अभि.सा.1 द्वारा बच्चे को मां/अपीलकर्ता की अभिरक्षा में छोड़ दिया गया था, जब अभि.सा.1 वापस आई, तो उसे केवल बच्चे का शव मिला। घटना के समय, बच्ची के साथ सिर्फ अपीलकर्ता मौजूद थी। इसलिए, यह आरोपी को समझाना है कि मौत कैसे हुई। तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि बच्चे की मौत गला घोटने के कारण दम घुटने से हुई थी। यदि ऐसा है, तो यह माँ/अपीलार्थी को समझाना है कि मृत्यु कैसे हुई थी।"

"14. बचाव पक्ष के यहां और विचारण न्यायालय के समक्ष समान रूप से दायर याचिका यह भी है कि आरोपी प्रासंगिक समय के दौरान अनुपस्थित थी और वह बच्चे को अभि.सा.1 के साथ छोड़कर वहां से चली गई थी। न्यायालय एक से अधिक कारणों के चलते इससे सहमत होने में असमर्थ है। यह एक झूठी दलील है। सबसे पहले, अभि.सा. 4 और 5 स्वतंत्र गवाह हैं, जो पड़ोसी हैं। अभि.सा. 4 और 5 के अनुसार, आरोपी 21 जून, 2007 की सुबह हुई घटना स्थल पर मौजूद थी। दूसरा, पुलिस के अनुसार, उसे उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जब घटना सुबह 8 हुई थी, तो मामला सुबह 9 दर्ज किया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन न्यायालय पहुंची। तीसरा, घटना के स्थान और समय

आरोपी बच्चे के साथ मौजूद एकमात्र व्यक्ति थी और यह अभियुक्त को समझाना है कि घटना कैसे हुई थी। लेकिन, उसने समझाया नहीं। ऐसी परिस्थितियों में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने अपना दावा कि आरोपी को छोड़कर कोई भी बच्चे की हत्या नहीं कर सकता था, साबित कर दिया है।"

7.2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया।

8. उपरोक्त निर्णय और आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विभिन्न दलीलें प्रस्तुत की हैं, विशेष रूप से अभियोजन मामले में दिखाई देने वाली कई विसंगतियों के संदर्भ में प्रश्नगत निष्कर्षों पर वार करते हुए; अपीलकर्ता के पति और अभि.स.-1 व अभि.स.-3 के बीच तनावपूर्ण संबंधों का तथ्य, जिसके कारण वह अपीलकर्ता के विरुद्ध गवाही देने में रुचि रख सकते थे; अपीलकर्ता ने विशेष रूप से अभि.स.-6 जमाल मोहम्मद की गवाही के संदर्भ में अन्यत्र होने की याचिका; और अपीलकर्ता द्वारा अपने बच्चे को मारने का कोई उद्देश्य न होना।

8.1. विद्वान अधिवक्ता ने शिकायत की अंतर्वस्तु और अभि.स.-1 बशीरा के बयान की शिकायत के संस्करणों में दिखाई देने वाले कई विरोधाभासों का विस्तृत संदर्भ दिया है, विशेष रूप से जब शिकायत में उसने आरोप लगाया था कि वह पैसे लिए बिना इडली खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन बयान में उसने कहा है कि अपीलकर्ता ने उसे रु.100 देकर इडली लेने भेजा; जब शिकायत में, अभि.स.-1 ने जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता घटना स्थल से भाग गई थी, लेकिन अपने बयान में उसने कहा कि अपीलकर्ता को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। अभि.स.-1 ने घर

वापस पहुंचने के बाद क्या देखा और क्या किया, इस बारे में कई अन्य विरोधाभासों का भी उल्लेख किया गया है।

8.2. विद्वान अधिवक्ता ने गवाहों के बयानों में इस चूक का भी उल्लेख किया है कि अपीलकर्ता ने अपनी साड़ी को मोड़कर गर्दन में लपेटकर बच्चे का गला घोंट दिया और कहा कि उनके बयान पोस्टमार्टम परीक्षा से संबंधित नहीं हैं।

8.3. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि बस स्टैंड पर अपीलकर्ता की गिरफ्तारी की परिकल्पना के संबंध में कोई निर्णायक सबूत नहीं था और उसने अभि.स.-6 जमाल मोहम्मद की गवाही को आधार बनाया है कि अपीलकर्ता को बस स्टैंड पर तभी गिरफ्तार किया गया था जब वह बच्चे की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद उनके साथ पेरम्बलुर वापस आई थी। इसके अतिरिक्त, अभि.स.-6 के बयान के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई अन्यत्र होने की याचिका स्पष्ट रूप से अभिलेख पर स्थापित है और पृष्ठभूमि के तथ्यों को देखते हुए, विशेष रूप से अपीलकर्ता के अपनी सास और अपने पति के अन्य रिश्तेदारों के साथ तनावपूर्ण संबंध, अन्यत्र होने की याचिका और अभि.स.-6 का दावा कि उसने और अपीलकर्ता ने बच्चे को अभि.स.-1 और उसके रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

8.4. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाया गया उद्देश्य कि अपीलकर्ता विलासपूर्ण जीवन जीना चाहती थी और इसलिए उसने बच्चे की हत्या कर दी थी, निराधार है क्योंकि अपीलकर्ता शादी के तुरंत बाद अपने वैवाहिक घर में अकेली रह रही थी, जहाँ उसका पति भारत में अपनी छोटी-मोटी यात्राओं के दौरान रहता था। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि उसके आचरण के संबंध में अपीलकर्ता के पति से अभियोजन पक्ष ने कभी पूछताछ नहीं की थी और इसलिए आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि इस स्वीकृत तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता के पति और अभि.स.-1 के बीच तनावपूर्ण संबंध थे,

उसके द्वारा अपीलकर्ता को गलत तरीके से फंसाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ताकि अभि.स.-1 अपने बेटे, अपीलकर्ता के पति से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके।

8.5. विद्वान अधिवक्ता ने विकल्प में तर्क दिया है कि मामला भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के अंतर्गत नहीं आता है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंध थे और यहां तक कि अभि.स.-1 के संस्करण के अनुसार, घटना के दिन सुबह ही, उसका और अपीलकर्ता का झगड़ा हो गया था क्योंकि अपीलकर्ता अपने पिता कोलक्कुडी के घर जाना चाहती थी। दी गई परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, भले ही अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को ध्यान में रखा जाए, यह मामला गैर-इरादतन हत्या से परे नहीं हो सकता है जो हत्या के बराबर नहीं है।

8.6. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को आधार बनाया है, जिसमें गवाहों की विसंगतियों के संबंध में **श्यामल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2012) 7 एससीसी 646**, जहाँ इच्छुक/संबंधित गवाहों की गवाही के संबंध में अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार हो, ऐसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य और उन कारकों के संबंध में **शरद बधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य: (1984) 4 एससीसी 116**; और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षा में मौन बने रहने की अभियुक्त की पात्रता और स्पष्टीकरण का अवसर देने के लिए विचारण न्यायालय की ओर से अभियुक्त के समक्ष भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के दायित्व के संबंध में **रामनरेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य: (2012) 4 एससीसी 257** का मामला भी शामिल है।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह साबित करने का अपना दायित्व कि अपीलकर्ता ने भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध किया है का निर्वहन किया है।

9.1. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि गवाहों के बयानों में मामूली विसंगतियों का अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और स्वतंत्र गवाहों की गवाही से अपीलकर्ता का बच्चे के साथ अकेले मौजूद होने की पुष्टि की गई है। इस संबंध में, विभिन्न निर्णयों को आधार बनाया गया है जिनमें **भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य:(1983) 3 एससीसी 217; कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य : (2002) 6 एससीसी 81 और लीला राम बनाम हरियाणा राज्य: (1999) 9 एससीसी 525** शामिल हैं, जिनमें प्रस्तुत किया गया था कि गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास सामान्य हैं और ऐसा होता ही है।

9.2. विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलकर्ता मृत्यु से पहले बच्चे के साथ देखे जाने वाली अंतिम व्यक्ति थी; इसलिए उसे बच्चे की मृत्यु के बारे में विशिष्ट जानकारी थी और साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 106 के अंतर्गत उसे उन परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करने की आवश्यकता थी जिनमें बच्ची की मृत्यु हुई थी। इस संबंध में, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने राज्य सहित विभिन्न निर्णय, जिनमें **सतपाल बनाम हरियाणा : (2018) 6 एससीसी 610 और राजस्थान राज्य बनाम काशी राम : (2006) 12 एससीसी 254** शामिल हैं, को यह निवेदन करने के लिए आधार बनाया गया है कि यदि अभियुक्त धारा 106 के तहत कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है और अपराध के निष्कर्ष की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करने वाले पुष्टिकारक साक्ष्य हैं, तो अभियुक्त को उसी आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है।

9.3. यह भी निवेदन किया गया है कि अभि.स.-5 और अभि.स.-1 की गवाही स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करती है कि अपीलकर्ता घटना के स्थान पर मौजूद थी और इसलिए उसका अन्यत्र होने का दावा साबित नहीं हुआ है। अपीलकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कुछ स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया,

जिससे इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि वह बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार थी।

9.4. यथोचित संदेह के प्रश्न पर आते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इस हित को और बढ़ाया नहीं जा सकता है और अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के अपने मामले को साबित नहीं कर सकता। इस तर्क को साबित करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने कई निर्णयों को आधार बनाया है जिनमें **हरियाणा राज्य बनाम भागीरथ: (1999) 5 एससीसी 96; गंगाधर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य : (2002) 8 एससीसी 381 और कृष्णा मोची** (उपरोक्त) शामिल हैं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आपराधिक मुकदमे में सभी तत्वों को वैज्ञानिक सटीकता के साथ साबित करना असंभव है और यह कि यथोचित संदेह एक 'तुच्छ' या 'मात्र संभव' संदेह नहीं होना चाहिए।

9.5. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी इस तर्क का विरोध किया है कि अभि.स.-1 व अभि.स.-3 पक्षपाती साक्षी थे, यह निवेदन करते हुए कि तत्काल मामले में, अपीलकर्ता को गलत तरीके से फंसाने या वास्तविक अपराधी को बचाने का कोई कारण नहीं था। इस संबंध में **गंगा भवानी बनाम रायपति वेंकट रेड्डी : (2013) 15 एससीसी 298 और राजस्थान राज्य बनाम कल्कि : (1981) 2 एससीसी 752** को यह निवेदन करने के लिए आधार बनाया था कि किसी गवाह को केवल तब तक ही "इच्छुक" कहा जा सकता है जब वे मुकदमे से कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक गवाह इच्छुक गवाह नहीं होते हैं, और यदि कोई संबंधित गवाह घटना स्थल पर मौजूद था, तो उसके बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है।

9.6. प्रतिवादी-राज्य की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि अंतिम बार देखे जाने वाली बात अभि.स.-1 पर लागू नहीं होगी क्योंकि वह कभी भी मृत बच्चे के साथ अकेली मौजूद नहीं पाई गई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि अभि.स.-1 को बच्चे की मृत्यु से किसी भी तरह से लाभ नहीं हुआ होगा।

9.7. इस प्रकार, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जब परिस्थितियों की विधिवत स्थापित श्रृंखला अपीलकर्ता के अपराध के अलावा किसी अन्य प्रशंसनीय परिकल्पना की ओर नहीं ले जाती है, तो विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

10. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर गहराई से विचार किया है और लागू कानून के संदर्भ में अभिलेख की जांच की है।

11. जैसा कि देखा गया है, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस मामले में समवर्ती रूप से निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक स्थापित करने में समर्थ रहा है जिससे एकमात्र निष्कर्ष यह निकलता है कि अपीलकर्ता अपनी बेटी की हत्या के अपराध की दोषी है। इस अपील में अपीलार्थी को दोषसिद्धि की तरफ ले जाने वाले समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती दी गई है जो सारे साक्ष्यों पर पुनः विचार किये जाने के सामान है। हालांकि इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति द्वारा अपील में मामलों की जाँच करने के मानदंड कई निर्णयों में निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इस मामले में की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हम **पप्पु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में : (2022) 10 एससीसी 321** में की गई टिप्पणियों को दोहरा सकते हैं जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 और 136 और सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 की धारा 2 के साथ-साथ प्रासंगिक निर्णयों के विस्तृत संदर्भ का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने नियमित अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील के दायरे में सूक्ष्म अंतर का सारांश इस प्रकार दिया है:-

"71... ऐसी अपील में, जहां विचारण और उच्च न्यायालय साक्ष्य पर विचार करने के बाद समवर्ती रूप से तथ्य के निष्कर्षों तक पहुँचे हैं, विशेष अनुमति द्वारा तथ्य के प्रत्येक निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही ऐसी अपील को निपटाने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया जा

सकता है। बेशक, यदि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन को कानून या प्रक्रिया की किसी त्रुटि या साक्ष्य के गलत अध्ययन या न्यायिक प्रक्रिया के मानदंडों की अवहेलना से दूषित कहा जा सकता है, जिससे गंभीर पक्षपात या अन्याय हो सकता है, तो यह न्यायालय उपयुक्त मामलों में, न्याय की गंभीर हानि रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन, ये मार्ग केवल प्रत्यक्ष अवैधता के दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही अपनाया जाता है। संक्षेप में कहें तो यह नियमित अपील का विषय नहीं है। यह न्यायालय साक्ष्य के पूर्ण मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही इन अपीलों का दायरा ऐसा है कि यह न्यायालय साक्ष्य पर पुनः विचारण करेगा ताकि विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लिया जा सके।"

11.1. इस प्रस्ताव को **मेकला शिवैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य : (2022) 8 एससीसी 253** मामले में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया है:

"15. यह न्यायिक घोषणा द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुच्छेद 136 व्यापक शब्दों में लिखा गया है और उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां किन्हीं भी तकनीकी बाधाओं से मुक्त नहीं हैं। हालाँकि, इस सर्वोपरि और असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से और केवल न्याय के औचित्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाना है। इस प्रकार, जब अपील के अंतर्गत निर्णय के परिणामस्वरूप कुछ गलतफहमी या साक्ष्य के गलत अध्ययन या भौतिक साक्ष्य की अनदेखी करके न्याय की गंभीर हानि हुई है, तो यह न्यायालय न केवल हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त है, बल्कि न्याय के औचित्य को बढ़ावा देने के लिए उससे हस्तक्षेप करने की उम्मीद की जाती है।

16. इस न्यायालय की यह प्रथा नहीं है कि वह इस बात की जांच करने के उद्देश्य से साक्ष्य पर पुनः विचार करे कि क्या विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से प्राप्त तथ्य का निष्कर्ष सही है या नहीं। केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही भौतिक साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ने या अनदेखा करने के कारण स्पष्ट रूप से अराजकता का विस्तार या न्याय की गंभीर और गहरी हानि होगी और यह न्यायालय इस प्रकार के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करेगा।"

12. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष के मामले में कई कमियां और खामियां हैं, विशेष रूप से गवाहों के संस्करणों में विसंगतियों और विरोधाभास होना; और जिन कारकों को आधार बनाया है, उनसे परिस्थितियों के बीच ऐसा संबंध न स्थापित कर पाना जो अपीलकर्ता के आरोपी होने के निष्कर्ष का कारण बन सकते हैं। इस तरह की प्रस्तुतियों से निपटने के दौरान, हम आवश्यक रूप से इस मामले में लागू बुनियादी सिद्धांतों पर विचार कर सकते हैं, जो प्रासंगिक उद्धृत निर्णयों में ध्यान देने योग्य हैं।

12.1. *शरद बिर्धिचंद सारदा* (उपरोक्त) मामले में बताए गए और प्रतिपादित सिद्धांत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण के संबंध में न्यायालयों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं। इसमें, इस न्यायालय ने *हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य: ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 343* मामले में प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख किया और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले को साबित करने के पाँच सुनहरे सिद्धांतों का व्याख्यान निम्नलिखित शब्दों में किया:

"152. महाजन, न्याय. ने जो निर्धारित किया है, उसे उद्धृत करना उपयोगी हो सकता है। *हनुमंत मामले में*।

"यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध

का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल आरोपी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और जिस परिकल्पना को साबित करने का प्रस्ताव है, उसे छोड़ कर हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में, अब तक पूर्ण साक्ष्य की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह इस प्रकार हो कि यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ "होनी ही या होनी चाहिए", न कि स्थापित की "जा सकती" हैं। "साबित किया जा सकता है" और "साबित होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक कानूनी अंतर भी है। इस न्यायालय ने *शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम राज्य महाराष्ट्र* मामले में निर्णय दिया था जहाँ निम्न टिपण्णी की गई थी:

"निश्चित रूप से, यह एक मौलिक सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त का अपराध अवश्य सिद्ध "होना चाहिए", न कि सिद्ध "हो सकता है" और "हो सकता है" और "होना चाहिए" के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और सटीक निष्कर्षों को अस्पष्ट अनुमानों से अलग करती है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है, वे किसी अन्य परिकल्पना की ओर संकेतात्मक नहीं होने चाहिए।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और इस ओर इशारा करे कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया है।

154. हम यह कह सकते हैं कि ये पाँच सुनहरे सिद्धांत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।

155. यह ध्यान देना दिलचस्प हो सकता है कि जहां तक कार्पस डिलिक्ट की अनुपस्थिति में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आपराधिक मामले में साक्ष्य की श्रेणी का संबंध है, सबूत के सम्बन्ध में कानून की राय *किंग बनाम हॉरी* [1952 एनजेडएलआर 111] में न्याय. ग्रेसन (और 3 और न्यायाधीशों द्वारा अनुमोदित) द्वारा इस प्रकार लिखी गई थी:

"इससे पहले कि किसी को दोषी ठहराया जा सके, मृत्यु के तथ्य को ऐसी परिस्थितियों से साबित किया जाना चाहिए जो अपराध को नैतिक रूप से निश्चित बना दे और युक्तियुक्त संदेह के लिए कोई आधार न छोड़े: परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतना ठोस और प्रभावी होना चाहिए कि जूरी को यह समझाया जा सके कि तथ्य हत्या के अलावा किसी भी तर्कसंगत परिकल्पना की ओर संकेत नहीं करते हैं।"

156. लॉर्ड गोडार्ड ने "नैतिक रूप से निश्चित" अभिव्यक्ति को "ऐसी परिस्थितियाँ जो अपराध को निश्चित बनाती हैं" से संशोधित किया।"

157. यह आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत को इंगित करता है कि किसी मामले को केवल तभी साबित किया जा सकता है जब साक्ष्य निश्चित और स्पष्ट हो और किसी भी व्यक्ति को मात्र नैतिक दोषसिद्धि के आधार पर दोषी न ठहराया जा सकता हो।"

12.2. जहां तक गवाहों के बयान में विसंगतियों और/या भिन्नता का संबंध है, इस न्यायालय ने **श्यामल घोष** (उपरोक्त) मामले में गंभीर विरोधाभासों और चूक जो अभियोजन पक्ष के मामले को विशेष रूप से प्रभावित करती है और गवाहों के बयान में मामूली भिन्नताओं के बीच का अंतर निम्नलिखित शब्दों में दिया है:

"68. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि विसंगतियाँ या चूक गंभीर होनी चाहिए और वे अपने आप में कुछ स्पष्ट निष्कर्षों का विरोध करने में सक्षम हों। प्रत्येक चूक कानून में विरोधाभास की जगह नहीं ले सकती है और इसलिए, अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने का आधार नहीं बन सकती है। मामूली अंतर्विरोध, विसंगतियाँ या मामूली अभिव्यक्तियाँ जो अभियोजन मामले को मूल रूप से प्रभावित नहीं करती हैं, को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को पूर्णतः अस्वीकार करने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। केवल जब इस तरह की चूक गवाह की सच्चाई या साख के ऊपर गंभीर संदेह उत्पन्न करे और अन्य गवाह भी न्यायालय के समक्ष मौलिक परिवर्तन या विरोधाभास प्रकट कर साक्ष्य को अस्वीकार्य बनाते हैं, तो न्यायालय ऐसे साक्ष्य को आधार बनाने में असक्षम हो सकती है। अभियोजन पक्ष के मामले को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले गंभीर अंतर्विरोधों और चूक को गवाहों के बयान में मौजूद मामूली विसंगतियों से स्पष्ट रूप से भिन्न समझा जाना चाहिए। पहले का कानूनी तौर पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की

गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ सकता है; हालांकि, बाद वाला अभियोजन के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।"

(जोर दिया गया)

12.3. **भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों का विशेष अनुमति द्वारा अपील में पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह किसी भी साक्ष्य या अस्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित या विकृत या कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य की अवहेलना से प्रभावित नहीं दिखाया जाता है। उस मामले में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से अभिलिखित अपराध के निष्कर्ष को मुख्य रूप से साक्ष्य में मामूली विसंगतियों के आधार पर चुनौती दी गई थी, जिसके लिए इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी मामूली विसंगतियों को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। इस न्यायालय ने इन कारणों को स्पष्ट किया कि किसी गवाह से छायाचित्र समान स्मरण-शक्ति होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है; कोई भी गवाह विशिष्ट अप्रत्याशित घटना से प्रभावित हो सकता है; अवलोकन की शक्तियां हर व्यक्ति में भिन्न होती हैं; बड़े पैमाने पर लोग बातचीत या घटनाओं के क्रम को सटीक रूप से याद नहीं रख सकते हैं; और कोई गवाह कितना भी सच्चा हो, वह न्यायालय के वातावरण और तीक्ष्ण प्रतिपरीक्षा आदि से भयभीत हो सकता है। इस निर्णय से निम्नलिखित अंश प्रासंगिक रूप से इस प्रकार लिखे जा सकते हैं:

"5.... उनके साक्ष्य को स्वीकार्य माना गया है। यह सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य का विशुद्ध निष्कर्ष है और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। तथ्य के इस तरह के समवर्ती निष्कर्ष को विशेष अनुमति द्वारा अपील में फिर से तब तक नहीं जांचा जा सकता है जब तक कि यह स्थापित न हो जाए : (1) कि निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है या (2) कि निष्कर्ष इस प्रकार विकृत है कि कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति इस पर नहीं पहुंच सकता

था, भले ही साक्ष्य को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया हो या (3) निष्कर्ष अस्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित और निर्मित हो, जो साक्ष्य, यदि विचारण से बाहर रखा जाता है, तो अभियोजन पक्ष के मामले को नकार देगा या इसे काफी हद तक कलंकित या खराब कर देगा या (4) कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो मामले को दोषी के पक्ष में झुका देगा, उसकी अनदेखी की गई है, या गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है। वर्तमान मामला इस तरह का नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए एवं सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष को मुख्य रूप से मामूली विसंगतियों के आधार पर चुनौती दी गई है। हम मामूली विसंगतियों के संदर्भ में साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्विचारण करने को उचित या स्वीकार्य नहीं मानते हैं, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कर्मठता से रेखांकित किया गया है। मामूली विसंगतियों को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। इसके कारण स्पष्ट हैं:

“(1) आमतौर पर किसी गवाह से छायाचित्र समान स्मरण शक्ति होने और घटना के विवरण याद रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि वीडियो टेप को मानसिक पटल पर फिर से चलाया जाता है।

(2) आम तौर पर कोई भी गवाह घटना से प्रभावित हो जाता है। गवाह अक्सर आश्चर्यचकित करने वाली घटना का अनुमान नहीं लगा सकता है। इसलिए मानसिक क्षमताओं द्वारा विवरण याद रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

(3) अवलोकन की शक्तियाँ हर व्यक्ति में भिन्न होती हैं। जो एक व्यक्ति देख सकता है, दूसरा नहीं देख सकता है। एक वस्तु या गतिविधि एक व्यक्ति के दिमाग पर छवि बना सकती है, जबकि हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति का उस पर ध्यान न जाए।

(4) बहुत से लोग सटीक रूप से बातचीत याद नहीं कर सकते और उनके द्वारा कहे गए या उनके द्वारा सुने गए शब्दों को पुनः प्रस्तुत नहीं कर सकते। वे केवल बातचीत के मुख्य उद्देश्य को याद कर सकते हैं। किसी गवाह से मानव टेप-रिकॉर्डर होने की उम्मीद करना अव्यावहारिक है।

(5) किसी घटना के सटीक समय या किसी घटना की समय अवधि के संबंध में, पूछताछ के समय आम तौर पर लोग अनुमान लगाते हैं। ऐसे मामलों में लोगों से बहुत सटीक या विश्वसनीय अनुमान लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह व्यक्तियों के समय-बोध पर निर्भर करता है जो हर व्यक्ति में भिन्न होती है।

(6) आम तौर पर एक गवाह से उन घटनाओं के अनुक्रम को सटीक रूप से याद करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो तेजी से या कम समय अवधि में होती हैं। एक गवाह भ्रमित हो सकता है, या बाद में पूछताछ करने पर भ्रमित हो सकता है।

(7) एक गवाह, चाहे पूरी तरह से सच्चा हो, न्यायालय के वातावरण और अधिवक्ता द्वारा की गई तीक्ष्ण प्रतिपरीक्षा से भयभीत हो सकता है, घबराहट में तथ्यों को आपस में मिला देता है, घटनाओं के अनुक्रम के बारे में भ्रमित हो जाता है, या उसी समय विवरण कल्पना से भर देता है। चाहे गवाह अपने द्वारा देखी गई घटना का एक सच्चा और ईमानदार विवरण दे रहा हो, गवाह का अवचेतन मन कभी-कभी मूर्ख दिखाई देने या विश्वसनीय न नज़र आने के डर में काम करता है- शायद यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है जो पल भर में सक्रिय हो जाता है।"

(जोर दिया गया)

12.4. **गंगाधर बेहरा** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने फिर से न्यायालय में साक्ष्य में सामान्य विसंगतियों होने को स्वाभाविक होना माना है और निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"15. साक्ष्य में सामान्य विसंगतियां वे हैं जो अवलोकन की सामान्य त्रुटियों के कारण होती हैं, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियां, घटना के समय सदमे और भय जैसे मानसिक स्थिति के कारण होती हैं और वह हमेशा रहती हैं चाहे कोई भी ईमानदार और सच्चा गवाह हो। मौलिक विसंगतियाँ सामान्य नहीं हैं और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं। न्यायालयों को उन श्रेणियों को चिह्नित करना होगा जिसमें विसंगति को वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि सामान्य विसंगतियाँ किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कम नहीं करती हैं, मौलिक विसंगतियाँ ऐसा कर सकती हैं। इन पहलुओं पर हाल ही में ही *कृष्ण मोची बनाम बिहार राज्य* [(2002) 6 एससीसी 81] में प्रकाश डाला गया था।"

12.5. जहाँ तक निकट संबंधित गवाहों के साक्ष्य पर विचारण के दृष्टिकोण का संबंध है, **गंगाभवानी** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने सिद्धांतों को निम्नानुसार समझाया है:

"15.....पीठ ने कहा, यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि किसी मामले में दोषी/आरोपी के संबंध में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले से संबंधित गवाहों के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच और विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, साक्ष्य केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं हो सकता है कि गवाह एक-दूसरे से या मृतक से संबंधित हैं। इस मामले में साक्ष्य में सच्चाई का भाव होता है, यह ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है, इस पर निश्चित रूप से भरोसा किया जाना चाहिए। (*भागलू लोध बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* से) [(2011) 13 एससीसी 206] "

(जोर दिया गया)

12.6. **रामनरेश** (उपरोक्त) मामले में, हालांकि इस न्यायालय ने आरोपी के जाँच के दौरान और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत न्यायालय के समक्ष परीक्षण के दौरान चुप रहने के अधिकार को मान्यता दी है, लेकिन साथ ही, उन्होंने मौन रहने और अपने विरुद्ध स्थितियों को समझाने का अवसर न मिलने के परिणामों पर भी प्रकाश डाला है, जिसमें कानून के अनुसार प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की अनुमति भी शामिल है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की और अभिनिर्धारित किया है:

"49. दं.प्र.सं. की धारा 313 के संदर्भ में, अभियुक्त को जाँच के दौरान और जाँच से पहले चुप रहने की स्वतंत्रता है। न्यायालय जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसका बयान दर्ज कर रहा हो, तब भी अभियुक्त मौन रहने या पूर्ण इनकार करने के का विकल्प चुन सकता है, निश्चित रूप से, न्यायालय प्रतिकूल निष्कर्ष के साथ साथ कोई निष्कर्ष निकालने का हकदार होगा, जो कानून के अनुसार उसके लिए अनुज्ञेय हो।

*** *** ***

52. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के सामने मौलिक साक्ष्य रखने का दायित्व न्यायालय पर है। दं.प्र.सं. के इस प्रावधान के तहत बयान दर्ज करने के मुख्य उद्देश्यों में से एक आरोपी को उसके विरुद्ध पेश होने वाली परिस्थितियों को समझाने का अवसर देना और साथ ही यदि आरोपी चाहे तो अपना बचाव करना है। **लेकिन यदि वह इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है, तो कानूनी परिणामों का पालन किया जाना चाहिए।** जहाँ अभियुक्त इस अवसर का लाभ उठाता है, वहाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिया गया उसका बयान, जहाँ तक अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है, उसके विरुद्ध दोषसिद्धि के लिए उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद भी उसे कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ता है।"

(जोर दिया गया)

12.7. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में स्पष्टीकरण के दायित्व के संबंध में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और स्पष्टीकरण के अभाव के परिणामों को इस न्यायालय द्वारा **सतपाल** (उपरोक्त) मामले में निम्नानुसार समझाया गया है:

"6. हमने संबंधित प्रस्तुतियों और अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार किया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन केवल ऐसी परिस्थितियां हैं और यह तथ्य है कि मृतक को अंतिम बार अपीलकर्ता के साथ देखा गया है। आपराधिक न्यायशास्त्र और न्यायिक पूर्व निर्णय की बहुतायत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के एक पहलू के रूप में अंतिम देखे गए सिद्धांत के आह्वान के लिए बुनियादी सिद्धांतों पर पुनर्विचार के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। स्पष्ट रूप से कहा गया है, यह एकल रूप में दोषसिद्धि तक पहुँचने के लिए एक कमजोर प्रवृत्ति का साक्ष्य हो सकता है **लेकिन** जब इसे अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाता है जैसे कि वह समय जब मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था, और शव की बरामदगी समय के बहुत करीब थी, तो आरोपी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत स्पष्टीकरण देना होता है। यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या कोई गलत स्पष्टीकरण देता है, या फरार हो जाता है, औचित्य स्थापित हो जाता है, और अन्य बातों के साथ साथ-साथ बरामदगी के रूप में या अन्यथा परिस्थितियों की श्रृंखला बनाने के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य मौजूद है जो अभियुक्त के अपराध के लिए एकमात्र निष्कर्ष की ओर ले जाता है, निर्दोषता की किसी भी संभावित परिकल्पना के साथ असंगत है, तो दोषसिद्धि उसी पर आधारित हो सकती है। यदि कोई संदेह है या परिस्थितियों की श्रृंखला के विरुद्ध विसंगति है, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत के आह्वान के लिए प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर जांचना होगा।"

(जोर दिया गया)

12.8. **सत्य सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य: (2022) 5 एससीसी 438**, जहां अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध बुनियादी तथ्यों को साबित करने में विफल रहा, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के अपने प्राथमिक कर्तव्य से निम्नानुसार मुक्त नहीं करती है:

"19....न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है जो निर्विवाद रूप से यह निष्कर्ष निकालेगा कि कथित कार्य केवल अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी अन्य द्वारा नहीं। विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर राज्य को आधार बनाना गलत है, क्योंकि धारा 106 का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से मुक्त करना नहीं है।...."

12.9. उपरोक्त के अलावा, हम **सावित्री सामंताराय बनाम ओडिशा राज्य: 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 673** मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दें सकते हैं। उस मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में, इस न्यायालय की 3- न्यायाधीशों की पीठ ने उल्लेख किया है कि यदि अभियुक्त का कोई अलग इरादा था, तो जो उसे साबित करने हैं, वह तथ्य विशेष रूप से उसके ज्ञान में हैं ; और यदि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में, अभियुक्त किसी आपत्तिजनक प्रश्न का उत्तर देने से बचता है या ऐसा जवाब देता है जो यह सत्य नहीं है, तो इस तरह की प्रतिक्रिया, अपने आप में, घटनाओं की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगी। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ निम्नानुसार कहा:-

"19. इस प्रकार, यद्यपि धारा 106 का उद्देश्य किसी भी तरह से किसी अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को उसके दायित्व से मुक्त करना नहीं है, यह उन मामलों में लागू होता है जहां अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाओं की श्रृंखला सफलतापूर्वक स्थापित की गई है, जिनसे अभियुक्त के विरुद्ध एक उचित निष्कर्ष निकाला गया है। इसके अलावा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में, जब भी आरोपी से कोई आपत्तिजनक सवाल पूछा जाता है और वह या तो जवाब से बच जाता है, या कोई ऐसा जवाब देता है जो सच नहीं है, तो ऐसी प्रतिक्रिया अपने आप में घटनाओं की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाती है।"

13. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, और यह दोहराते हुए कि साक्ष्य का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन इस अपील के दायरे में नहीं है, हम जांच कर सकते हैं कि क्या समवर्ती निष्कर्ष इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की मांग करते हैं।

14. इस मामले में कुछ बुनियादी पहलू विवादास्पद नहीं हैं, जो अनिवार्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हैं। अपीलकर्ता का पति अधिकतर विदेश में रह रहा था और अपीलकर्ता अधिकतर अपने माता-पिता के साथ कोलक्कुडी में रह रही थी। गवाह अभि.स.-1, अभि.स.-2 और अभि.स.-3 के संस्करण के अनुसार, जिन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया और साथ ही अपीलकर्ता के पिता अभि.स.-6 जमाल मोहम्मद के संस्करण के अनुसार, जिन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया और जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया, इतनी बात निर्विवाद है कि 18.06.2007 पर अपीलकर्ता अपने पिता और बेटी के साथ कोलक्कुडी से पेरम्बलुर आई थी। पीड़ित बच्ची, अपीलकर्ता की बेटी की हत्या 21.06.2007 को हुई।

15. मामले का प्रमुख विवादास्पद हिस्सा यह है कि अभि.स.-6 जमाल मोहम्मद की गवाही के अनुसार, 20.06.2007 पर, वह पीड़ित

बच्ची को अभि.स.-1 बशीरा के पास छोड़ गया और अपनी बेटी, यानी अपीलकर्ता के साथ कोलक्कुडी वापस चला गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता पीड़ित बच्ची के साथ पेरम्बलुर में काफी समय तक रहा है और 21.06.2007 की सुबह, जब उसकी सास (अभि.स.-1) घर से बाहर थी, तो उसने बच्चे का गला घोट दिया। अभि.स.-6 जमाल मोहम्मद के अनुसार, अपीलकर्ता प्रासंगिक समय पर पेरम्बलुर में नहीं थी और वह बच्चे की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद देर दोपहर 21.06.2007 पर उसके साथ पेरम्बलुर आई और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन पक्ष के कुछ अन्य गवाहों को भी जिरह के दौरान यही सुझाव दिए गए थे। ये पहलू अन्यत्र होने की दलील की ओर संकेत करते हैं। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रत्यक्षीकरण का उल्लेख किया गया है और उसे आधार बनाया गया है।

15.1. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की जांच की है और मामले की महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में अन्यत्र होने की इस याचिका को खारिज कर दिया है कि अभिलेख पर कोई पुष्टि करने वाला साक्ष्य नहीं है, अभि.स.-6 जमाल मोहम्मद द्वारा किए गए दावे के लिए, कि 20.06.2007 पर, वह अपनी बेटी को अपने गाँव कोलक्कुडी वापस ले गया। अभियुक्त-अपीलार्थी ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया कि वह घटना के समय और स्थान पर पेरम्बलुर में मौजूद नहीं थी। इस तथ्य के अलावा कि अभि.स.-1, अभि.स.-2 और अभि.स.-3 ने लगातार अपने बयानों को बनाए रखा कि अपीलकर्ता घटना के समय और स्थान पर उपलब्ध थी, दो स्वतंत्र गवाह, अभि.स.-1 के मकान मालिक अभि.स.-4 शरफुनिशा और अभि.स.-1 के पड़ोसी अभि.स.-5 थिरू-ज्योति ने गवाही दी कि उन्होंने अपीलकर्ता को घटना के तुरंत बाद और घटना के स्थान पर मृत बच्चे के शव के साथ या उसके पास बैठे देखा। यद्यपि अभि.स.-2 और अभि.स.-3 की गवाही को अस्वीकार करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है, लेकिन मात्र तर्क के लिए ही उनकी गवाही को इस कारण अलग कर भी दिया जाए की वह आपस में सम्बन्धी थे और शायद अपीलकर्ता के प्रति सकारात्मक न हों,

लेकिन अभि.स.-4 और अभि.स.-5 की गवाही को अस्वीकार करने और त्यागने का कोई कारण नहीं दिखता है। अभि.स.-4 और अभि.स.-5 उस समय के आसपास और घटना के स्थान पर अपीलकर्ता की उपस्थिति के बारे में गवाही देने में क्यों रुचि रखते होंगे, इसे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

15.2. पूर्वगामी के अलावा, मामले का तथ्य यह भी है कि अपीलकर्ता को घटना के नौ घंटे बाद भी, बस स्टैंड पर 21.06.2007 यानी घटना के उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, अभि.स.-6 जमाल मोहम्मद द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत कि अपीलकर्ता ने 20.06.2007 पर अपने साथ कोलक्कुडी की यात्रा की थी और फिर 21.06.2007 पर वापस पेरम्बलुर की यात्रा की थी, को खारिज कर दिया जाता है, तो अन्य सभी तथ्यों को एक साथ लेने से यह तार्किक निष्कर्ष निकलता है कि अन्यत्र होने की याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

16. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उजागर और विस्तृत किया गया है अन्य प्रमुख कारक अभि.स.-1 बशीरा के संस्करणों में दिखाई देने वाली कुछ विसंगतियों से संबंधित है, जैसा कि न्यायालय के समक्ष उसके दावों की तुलना में पुलिस को की गई शिकायत में कहा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में कुछ ऐसी विसंगतियाँ थीं जो पहली बार में कुछ संदेह पैदा करती हैं कि अभि.स.-1 की गवाही विश्वसनीय है या नहीं। हालाँकि, अभिलेख पर बारीकी से नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विसंगतियाँ, जो अभि.स.-1 बशीरा द्वारा दिए गए संस्करणों में विरोधाभास के तौर पर बताई जाती हैं, को केवल सामान्य और स्वाभाविक माना जा सकता है या उसकी समझ की कमी का परिणाम मानी जा सकती हैं।

16.1. अभि.स.-1 बशीरा कोई और नहीं बल्कि अपीलकर्ता की सास और पीड़ित बच्ची की दादी हैं। इस मामले में पहली विसंगति यह है कि शिकायत में दिए गए विवरण के अनुसार, वह सुबह बिना पैसे लिए इडली खरीदने के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन अपने बयान में उसने

कहा कि अपीलकर्ता ने उसे रु 100 दिए और उसे इडली लाने के लिए कहा। एक अन्य बड़ी विसंगति तब सामने आती है जब शिकायत में, उसने जोर देकर कहा था कि अपीलकर्ता घटना स्थल से भाग गयी थी, लेकिन अपने बयान में उसने कहा था कि अपीलकर्ता को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। तीसरा, बाजार जाने के बाद घर पहुंचने पर उसने जो देखा और किया, वह भी शिकायत और बयान में अलग-अलग बताया गया है। सवाल यह है कि क्या इन विसंगतियों के कारण उसकी गवाही और अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए।

16.2. हमारे विचार में, विचारण न्यायालय ने मामले का सही विश्लेषण किया है और सही कहा है कि जब 65 वर्ष की आयु की अभि.स.-1 घटना के एक वर्ष बाद अपनी स्मृति से न्यायालय के समक्ष गवाही दे रही थी, तो ऐसी विसंगतियों के परिणामस्वरूप उसकी गवाही पूरी तरह से अस्वीकार नहीं होगी। शिकायत में और बयान में उसके दावों से निकलने वाली प्रासंगिक विशेषताएं यह हैं कि वह पीड़ित बच्ची को अपीलकर्ता के पास छोड़ सुबह खाने-पीने की चीजें खरीदने के लिए बाहर गई थी; और वापस आने के बाद, उसने बच्ची को मृत पाया, जिसमें अपीलकर्ता बच्चे के साथ थी। इस सन्दर्भ में कि क्या वह अपीलकर्ता द्वारा पैसे दिए जाने के बाद बाजार गई थी या पैसे लिए बिना, हमारे विचार में, उसकी पूरी गवाही के साथ-साथ अन्य गवाहों की गवाही को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसा लगता है कि उक्त गवाह अभि.स.-1 ने स्पष्ट रूप से तथ्यों का क्रम खो दिया है जब उसने अपने बयान में कहा था कि अपीलकर्ता को घटना के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। अभिलेख पर यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि अपीलकर्ता को देर दोपहर बस स्टैंड पर गिरफ्तार किया गया था और यह कहीं नहीं दिखाया गया है कि घटना के तुरंत बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया था या नहीं। आधिकारिक गवाह अभि.स.-10 सुब्बुलक्ष्मी को इस संबंध में दिए गए सुझाव का भी उन्होंने विशेष रूप से खंडन किया है। अभि.स.-1 के संस्करण में उक्त विसंगति की भी कोई प्रासंगिकता नहीं है और दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को उस

हिसाब से विस्थापित नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि शिकायत में दिया गया संस्करण जैसे कि अभि.स.-1 ने अपीलकर्ता को अपने बच्चे का गला घोटते हुए देखा, घटना के तुरंत बाद एक स्पष्ट दावा प्रतीत होता है। अन्य गवाह जो स्वतंत्र गवाह अभि.स.-4 और अभि.स.-5 सहित घटनास्थल तक पहुँच गए थे, ने निरंतर दावा किया है कि अपीलकर्ता घटनास्थल पर और उसके तुरंत बाद बच्चे के शव के साथ उपलब्ध थी।

16.3. मामले के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि पूरे अभियोजन मामले पर विश्वास न किया जाए और खारिज कर दिया जाए क्योंकि अभि.स.-1 ने मामले को सुसंगत तरीके से पेश नहीं किया है। निजी गवाहों के अलावा, आधिकारिक गवाहों की गवाही में भी सभी प्रासंगिक तथ्यों को विधिवत स्थापित किया गया है। वर्तमान मामले में देखी गई विसंगतियों को, अधिक से अधिक, मामूली विरोधाभास या विसंगतियां या **मामूली अभिव्यक्तियाँ** कहलाई जा सकती हैं; और इस न्यायालय द्वारा **भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई** (उपरोक्त) में वर्णित कारणों के लिए यथोचित रूप से संदर्भित हैं, जिसके लिए साक्ष्य में मामूली विसंगतियां होती हैं और उन्हें अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है।

17. यह निवेदन कि अपीलकर्ता द्वारा पीड़ित की साड़ी को गले में दबाकर गला घोटने का दावा, पोस्टमार्टम परीक्षा से संबंधित नहीं है, भी असमर्थनीय है। जैसा कि देखा गया है, चिकित्सा अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि बच्चे का गला घोटने से 20 सेंटीमीटर लंबा और गर्दन के चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा घाव हुआ और थायराइड उपास्थि की हड्डी टूट गई थी। अभि.स.-8 ने यह भी कहा कि अगर साड़ी के बाहरी छोर को मोड़कर गर्दन में डाल दिया जाता है और व्यक्ति का गला घोट दिया जाता है, तो इस तरह के घाव की संभावना होती है। विचाराधीन साड़ी को अपीलकर्ता से विधिवत बरामद किया गया था और कहा गया था कि उसमें खून के धब्बे थे।

18. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के समूह में, अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाए गए उद्देश्य, अर्थात्, अपीलकर्ता की अपने वैवाहिक घर में न

रहने की इच्छा और ऐसा सिर्फ मजबूरी में बच्चे के कारण करना, बच्चे के अस्तित्व में रुचि न रखना, हालांकि कुछ कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, लेकिन साथ ही, उसे पूरी तरह से नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि 18.06.2007 तक अपीलकर्ता अपने माता-पिता के साथ रह रही थी और उसे अपने पति के परिवार के साथ बच्चे के पालन-पोषण के उद्देश्य से पेरम्बलुर आने के लिए मजबूर किया गया था।

19. अपीलकर्ता की ओर से किया गया एक अन्य निवेदन, कि उसके पति से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है, मामले को उसके पक्ष में नहीं ले जाता है। घटना के समय उसके पति को देश में नहीं था और वह अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए जाने वाले भौतिक तथ्यों के संबंध में प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। दूसरी ओर, यदि अपीलकर्ता उसे एक भौतिक गवाह मान रही थी, तो उसे अपने पति की जाँच के लिए न्यायालय में प्रार्थना करने एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपनी जांच के दौरान इस संबंध में विशिष्ट प्रस्तुतियाँ करने से कुछ भी नहीं रोक सकता था।

20. जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान का संबंध है, अपीलकर्ता ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और दी गई परिस्थितियों से इनकार करने के अलावा कोई उसने कोई बयान नहीं दिया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित किया कि पीड़ित बच्चे को आखिरी बार केवल अपीलकर्ता के साथ ही जीवित देखा गया था, तो उसे जिन परिस्थितियों के कारण बच्चे की मृत्यु हुई थी, उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। ऐसा करने में विफल रहने और जिन परिस्थितियों के कारण बच्चे की मृत्यु हुई थी, उन्हें स्पष्ट करने में असफल रहने पर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का भार अपीलकर्ता के विरुद्ध काम

करता है, जैसा कि उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों, विशेष रूप से *सतपाल* और *साबित्री सामंतारे* के मामलों में से ध्यान देने योग्य है।

21. इस विकल्प की दलीलें कि दी गई परिस्थितियों में, वर्तमान मामला केवल गैर इरादतन हत्या का हो सकता है, जो हत्या के बराबर नहीं है, केवल खारिज किए जाने के लिए नोट किया गया है। यदि यह भी माना जाए कि घटना की तारीख की सुबह अपीलकर्ता का अपनी सास (अभि.स.-1) के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि अपीलकर्ता अपने पिता के घर जाना चाहती थी, तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के झगड़े से यह गंभीर और अचानक उकसाने का मामला बन जाएगा। अभिलेख पर साबित परिस्थितियों और अपराध करने के तरीके से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मामले को भा.दं.सं. की धारा 300 के किसी भी अपवाद के तहत नहीं लाया जा सकता है और भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा देने में गलती नहीं की जा सकती है।

23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील विफल हो जाती है और इसलिए खारिज कर दी जाती है।

..... [न्या. दिनेश महेश्वरी]

..... [न्या. बेला एम त्रिवेदी]

नई दिल्ली;

फरवरी 22, 2023

Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.